बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग

सत्यमेव जयते

हरित बजट

2022-23

बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

हरित बजट

2022-23

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्राक्कथन

सतत् विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) के 2030 कार्ययोजना में 17 लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य निर्धारित किये गए है जिन्हें इस दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर प्राप्त किए जाने का संकल्प है। सन 2022 एक महत्वपूर्ण दशक है जिसे सतत् विकास लक्ष्यों के दृष्टिकोण से अगले आठ वर्षो में प्राप्त करना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के साथ–साथ बड़ी जिम्मेदारी है। वैश्विक जलवायु प्रतिक्रिया के साथ–साथ उनके संदर्भ में, न्याय तथा समानता के बिंदु पर सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की ज़िम्मेदारियाँ, क्षमताओं के आधार पर तय होनी आवश्यक है। CoP26 के ग्लासगो जलवायु समझौते के बाद, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कई जलवायु अनुकूलन एवं शमन की कार्ययोजनाएं तैयार किए गए हैं। इस वर्ष CoP27 में, कम आय वाले कमजोर देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने हेतु जलवायु वित्त के विशेष प्रावधान जलवायु समझौते का केंद्र बिंदु रहा। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान तथा क्षति को कम करने हेतु वित्तीय सहायता के प्रावधानों, वैश्विक पारदर्शिता एवं सामूहिक जलवायु कार्यों के लिए सहयोग पर जोर दिया गया है। जैसा की भारत तथा जी–77 देशों के सदस्यों ने विकासशील देशों द्वारा किए जाने वाले सतत् प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से 300 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता के लिए विकसित देशों के योगदान पर जोर दिया गया है। वैसे ही सतत् विकास हेतु प्रौद्योगिकी उन्नति और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोणं से पर्याप्त सहायता प्रदान करना आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय एवं राजकीय प्रतिक्रियाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी की वैश्विक प्रयास। बिहार राज्य सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों ही मोर्चों पर नीतिगत प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर विचार–विमर्श जारी रखना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण स्थिरता को एकीकृत करने हेतु सक्रिय, समन्वित तथा ठोस प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जल–जीवन–हरियाली अभियान सरकार की एक दूरदर्शी नीतिगत प्रयास है, जो सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की समुचित कार्रवाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तात्कालिक बुनियादी ढ़ाचा प्रदान की ओर अग्रसर है। बजटीय आंकलन एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिसके माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में सतत् विकास के परिणामों को मुख्यधारा में लाने तथा विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित करना संभव होगा। यह मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं की बेहतर क्रियान्यवन तथा समन्वय के माध्यम से नीतिगत सामंजस्य को भी बढ़ावा दे सकता है। इस क्रम में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा वार्षिक बजट अभ्यास में हरित बजट को संस्थागत रूप प्रदान करने हेतु पिछले दो वर्षो से सदन में पेश करता आ रहा है। हरित बजट के माध्यम से बिहार सरकार ने उन क्षेत्रीय कार्यों को चिन्हित करने का प्रयास किया है जो राज्य में पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्यों को स्थापित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे है। ऐसा माना जा सकता है कि हरित बजट अभ्यास से विभागों की मानसिकता बदली है, जिससे बेहतर योजना, समन्वय और तालमेल से सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा।

•••

बिहार हरित बजट

परिचय

'हरित बजट' की परिकल्पना को एक उप–बजट के तौर पर उल्लेखित किया जा सकता है जिसमें राज्य के मूल बजट के अन्तर्गत पर्यावरण एवं अनुकूलन हेतु आंकलित व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। यह राज्य में पर्यावरण स्थिरता में भागीदार विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की हरित प्राथमिकताओं और उनके लिए बजटीय प्रावधान करने हेतु एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) इत्यादि के संदर्भ में राज्य में हरित उन्मुख प्रयासों के प्रभावों का आकलन हेतु एक मार्गदर्शिका के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

इस प्रकार के उद्देश्य आधारित बजटीय प्रयासों को देश में कुल कार्बन उत्सर्जन स्तर के भार को क्षेत्रीय स्तर पर कम करने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता के संदर्भ में भी इसे एक महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के 26वें अध्याय के दौरान (जिसे कॉप–26 कहा जाता है) विश्व के 100 देशों के समक्ष भारत ने 2070 तक 'शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।[1] इसके अलावा, एक दशक से भी कम समय में ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के प्रमुख कारकों में से एक 'मीथेन' को 30 प्रतिशत तक कम करने के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।[2] देश को निर्धारित लक्ष्य स्तर पर उत्सर्जन को कम करने हेतु पर्याप्त नीतिगत प्रयासों के साथ–साथ लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी।

निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु देश के प्राथमिक क्षेत्रों में पर्याप्त नीतिगत निर्णय लेने के साथ–साथ पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। इसके मद्देनज़र बिहार सरकार, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता क्षीणता, पर्यावरण क्षरण एवं अन्य संबंधित खतरों को चिन्हित करने, इनपर निगरानी रखने, कार्यक्रम हेतु संस्थागत रणनीति बनाने एवं बजटीय प्रावधानों हेतु हरित बजट के महत्व को महसूस किया है। ऐसा माना जा सकता है की हरित बजट को मुख्य धारा में लाने से संबंधित विभागों द्वारा पर्यावरणीय सजग प्रयासों के माध्यम से तथा हरित आयामों को वार्षिक लोक नीतियां, कार्य योजनाएं तथा कार्यक्रमों के नतीजों में गुणवत्ता प्रदान करेगा।

---

1 ग्लासगो में कॉप26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय वक्तव्य प्रेस सूचना ब्यूरो, 01 नवंबर, 2021:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1768712

2 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) क्लाइमेट एक्शन स्टोरीः 22 सितंबर 2021:https://www.unep.org/news-and-stories/story/new-global-methane-pledge-aims-tackle-climate-change

दृष्टिकोण

पर्यावरणीय संधारणीयता के उद्देश्य हेतु तैयार किए जानेवाले हरित बजट की रुपरेखा को सरल रखने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के दस्तावेज निर्माण हेतु विशेषज्ञों का मानना है की मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है– पहला, ऐसे विषय आधारित बजट के क्रियान्वयन हेतु विभागों द्वारा नीतिगत मंत्रणा एक आवश्यक आधार प्रदान करता है। दूसरा, विभिन्न विभागों द्वारा सतत् विकास के उद्देश्य से तैयार की गई योजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यवाही हेतु संगठित प्रतिक्रिया से लक्ष्यों को तय समय पर हासिल किया जा सकता है एवं तीसरा, विभागों द्वारा निर्धारित हरित कार्यों को संबंधित विभागों द्वारा विकसित हरित पद्धति का पालन करना चाहिए। इस तरह का एक पद्धतिगत दृष्टिकोण योजनाओं/कार्यक्रमों से वांछित परिणामों की निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है। मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए जाने वाले हरित बजट आंकलन की रुपरेखा इस प्रकार है–

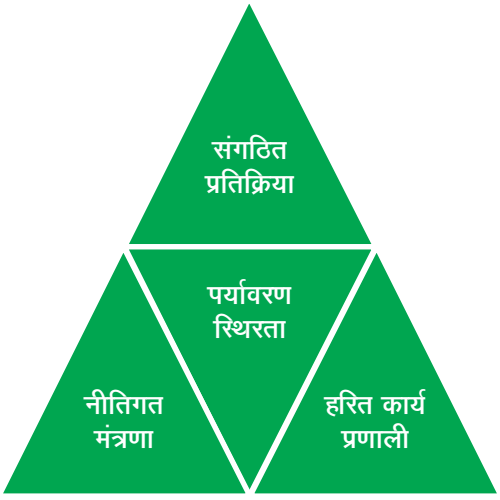

चित्र 1–बजट आंकलन एवं क्रियान्वयन की रुपरेखा

- हरित बजट क्षेत्रीय स्तर पर किए जानेवाले कार्यों के संबंध में दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। साथ ही हरित योजनाओं/कार्यक्रमों पर होनेवाले व्यय पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि पर्यावरणीय संधारणीयता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बजटीय प्रावधानों की स्पष्टता प्रदान करता है। इससे पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रीय असमानताओं तथा अन्य चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।
- हरित बजट देश एवं राज्य के पर्यावरणीय स्थिरता के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति एकजुट होकर कार्य करने हेतु अंतर–विभागीय समन्वय को मजबूत करता है।
- पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किया गया व्यय, सरकार की कार्यवाही का सूचक होता है। हरित बजट नीति निर्माताओं के लिए आंतरिक विश्लेषण का एक माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे राजकोषीय नीति में आवश्यकता के अनुरूप बदलाव किया जा सके।
- चुकि हरित बजट दृष्टिकोण अभी अपने निर्माण के प्रारंभिक चरण में है, तथा नीतिगत विश्लेषण हेतु मार्गदर्शिका के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने के तौर पर विकसित हो रहा है, अतः आने वाले वर्षों में यह हरित विकास कार्यों में व्यय का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता है, जो क्षेत्रीय परिणामों और उपलब्धि को प्रतिबिंबित करेगा।

- पहला महत्वपूर्ण कदम यह परिभाषित करना है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ क्या हैं। इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित का समर्थन करने वाली सभी गतिविधियों के रूप में परिभाषित करते हैं–

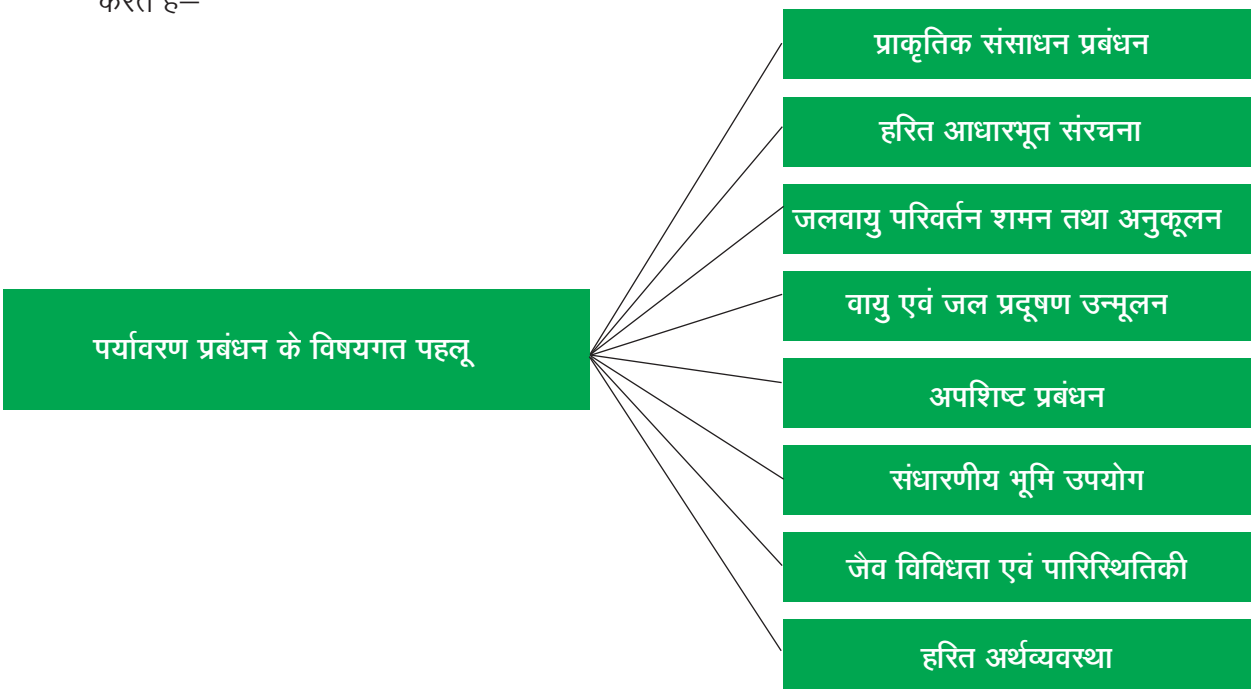

चित्र 2–हरित बजट के विषयगत पहलू

- अगला कदम इन विषयों में सरकारी योजनाओं का वर्गीकरण है। इसके लिए सामान्य मार्गदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं/नीतिगत ढांचे के साथ योजनाओं के उद्देश्यों और घटकों/गतिविधियों के संरेखण के आधार पर प्राप्त किया जाता है।

  विभिन्न सीमाओं वाला राज्य होने के नाते, बिहार राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हरित बजट विषय–आधारित एक रुपरेखा प्रस्तुत करता है जो अन्य बजट अभ्यासों यथा– जलवायु बजट, बाल बजट और जेंडर बजट के समान है, जो पर्यावरणीय स्थिरता या उनके हरित परिणामों हेतु कार्यक्रम स्तरीय बजट प्रावधानों के आंकलन तथा जांच पर केंद्रित है। हरित बजट एसडीजी[3] तथा रियो–मार्कर[4] के दृष्टिकोण पर तैयार किया गया है। पिछले दो वर्षों की भांति, इस वर्ष भी बिहार राज्य के हरित बजट को तैयार करने हेतु निम्नांकित चरणों का पालन किया गया है–

चरण 1

राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उनकी वार्षिक योजनाओं एवं बजटीय दस्तावेजों से कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन की पहचान की गई। इस संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कार्यक्रम संबंधी दिशा–निर्देश एवं उद्देश्यों की समीक्षा की गई,

---

3 एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड: विस्तृत कार्यप्रणाली पेपर; गिलौम लाफोर्ट्यून, ग्रेसन फुलर, जॉर्ज मोरेनो, गुइडो श्मिट–ट्रब, क्रिश्चियन क्रोल; सितंबर 2018
https://github.com/sdsna/2018GlobalIndex/raw/master/2018GlobalIndexMethodology.pdf

4 जलवायु के लिए ओईसीडी डीएसी रियो मार्करय पुस्तिका:
https://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf

साथ ही उन योजनाओं की भी पहचान की गई जिनमें पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियां / घटक मौजूद थे।

चरण 2

संबंधित विभागों से निर्धारित प्रपत्र में बजटीय आंकड़े प्राप्त किये गए। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु सभी विभागों से विचार–विमर्श किया गया तथा विभागों को तकनीकि सहायता के माध्यम से योजनाओं या कार्यक्रमों में किए गए व्यय के अनुपात के साथ बजट अनुमानों की पहचान की गई।

चरण 3

बजट के आंकड़ों की दोहरी गणना से बचने एवं त्रुटियों को कम से कम रखने हेतु टैगिंग और ट्रैकिंग पद्धति को अपनाया गया। प्रक्षेत्रवार कार्यक्रमों और संबंधित विभागों के योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए विभागों से संबंधित बजट कोड का समुचित आंकलन किया गया है।

तालिका 1: हरित बजट दस्तावेज तैयार करने हेतु अपनाए गए दृष्टिकोण का चित्रण

बजटीय आवंटन एवं व्यय का आंकलन	सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुसार पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में योगदान देने वाले विभागों की पहचान	राज्य के सभी विभागों के अनुदान की विस्तृत मांग की की समीक्षा
		राज्य के विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट की समीक्षा
		राज्य और केंद्रीय नीतियों की समीक्षा
	पर्यावरण संधारणीयता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में योगदान देने वाली योजनाओं की पहचान	अनुदान की विस्तृत मांग और बजट दस्तावेजों की समीक्षा
		राज्य के संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श
	पहचान की गई योजनाओं पर बजटीय आवंटन एवं व्यय का मिलान	बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों से हरित घटक संबंधित योजनाओं तथा उनके वित्तीय लेखा–जोखा का संकलन
		प्रत्येक योजना के लिए कुल बजट आवंटन एवं व्यय का मिलान
	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिक योजनाओं के हरित घटक के आकलन के लिए गुणांकों का उपयोग	संशोधित रियो–मार्कर पद्धति पर आधारित हरित प्रतिशतता तालिका में संबंधित विभागों के परामर्शनुसार अपेक्षित योजनाओं का आंकलन
		संबंधित विभागों के हरित–घटक का अनुमान

हरित बजटिंग कार्य–प्रणाली, एसडीजी मैपिंग तथा संशोधित रियो–मार्कर पद्धति पर आधारित है। नीचे दी गई तालिका 2 में प्रत्येक योजना और उसके उद्देश्यों एवं घटकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए विस्तार से समीक्षा की गई है। योजना के समेकित स्कोर तक पहुँचने के लिए योजनाओं के विभिन्न घटकों का अंकन किया गया है। योजना के स्कोर का आंकलन करने में प्रयुक्त दिशा–निर्देश, भारत के एसडीजी, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) से जुड़े कार्य बिंदुओं एवं गतिविधियों के बीच सामंजस्य, जलवायु

परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना (SAPCC), राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) तथा गतिविधियों के वर्गीकरण पर मौजूदा साहित्य {जैसे –पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों और व्यय का वर्गीकरण (CEPA), पर्यावरण गतिविधियों का वर्गीकरण (CEA) तथा BIOFIN वर्गीकरण} पर आधारित है। किसी योजना के स्कोर के आधार पर विभिन्न बजट शीर्षों की 'हरित टैगिंग' के लिए एक टैगिंग प्रणाली विकसित की गई है। साथ ही योजनाओं के उद्देश्यों और मंशा के आधार पर एक हरित टैगिंग सिस्टम विकसित किया गया है।

तालिका 2: हरित बजट महत्व अधिसीमा के लिए हरित–घटक का चित्रण

हरित बजट महत्व अधिसीमा	उदाहरण स्वरूप हरित योजनाऐं या गतिविधि
पूर्ण (100 प्रतिशत)	राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम, टाइगर प्रोजेक्ट, ई–वाहन योजना, ऊर्जा दक्षता, रिन्यूएबल उर्जा योजनाएं, इत्यादि।
अति उच्च (90–75 प्रतिशत)	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन, इत्यादि।
उच्च–(75–50 प्रतिशत)	परम्परागत कृषि विकास योजना, जलवायु अनुकूल कृषि योजना, भू–जल प्रबंधन और विनियमन, राष्ट्रीय भू–जल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम, इत्यादि।
मध्यम–(50–25 प्रतिशत)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इत्यादि।
निम्न (25–05 प्रतिशत)	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, इत्यादि। परम्परागत कृषि विकास योजना, आदि।
सीमांत–(05 प्रतिशत एवं इससे कम)	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, एनसीसी, पर्यावरण स्वयंसेवी कार्यक्रम, सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री, इत्यादि।

टिप्पणी :

- पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम संबंधी बजट अनुमानों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।
- हरित बजटिंग में केवल चुनिंदा विभागों के सकल बजट अनुमानों, योजनाओं और कार्यक्रमों के आवंटन एवं व्यय को ही शामिल किया गया है, इसलिए परिणाम या व्यय पूर्ण स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं।
- पर्यावरण नियमों को बजट के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्त्तमान कार्यप्रणाली में हरित बजट पर्यावरणीय स्थिरता हेतु व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।
- उपर्युक्त हरित कमियों के बावजूद ग्रीन बजट के निर्माण से संबंधित लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रयास से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, लोक वित्त एवं बजट पर्यावरणीय नीति, हरित अर्थनीति इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु बजट निर्माण एवं राजस्व प्राप्ति के क्रम में विचारणीय होने की अधिक संभावना है।

बिहार की पर्यावरणीय स्थिति

बिहार लगभग 104 मिलियन की कुल आबादी वाला भारत का एक भू–बद्ध (लैंड–लॉक्ड) राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बहुत अधिक) है।[5] राज्य इंडो–गंगेटिक के मैदानी क्षेत्र के मध्य में स्थित है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,164 वर्ग कि.मी. है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.86 प्रतिशत है। राज्य की वार्षिक औसत वर्षा 1521.5 मि.मी. और औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। बिहार राज्य का अधिसूचित कुल हरित आवरण (वन क्षेत्र के बाहर तथा अन्दर) का क्षेत्रफल लगभग 13,331 वर्ग कि.मी. में फैला है, जहाँ अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष का क्षेत्रफल 6,454 वर्ग कि.मी है। वर्तमान में राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (94,164 वर्ग कि.मी.) का 14.16 प्रतिशत है।[6] दूसरी ओर, एसडीजी के ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर बिहार को 52 अंक प्राप्त हुए हैं। एसडीजी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे शुद्ध पेयजल और स्वच्छता (वर्ष 2019 में 81 से वर्ष 2020 में 91 तक), सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा (जो वर्ष 2019 में 62 अंक से बढ़ कर वर्ष 2020 में 78), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (वर्ष 2019 में 44 अंक से बढ़ कर वर्ष 2020 में 66 तक), के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इसके साथ पर्यावरणीय क्रिया–कलापों (वर्ष 2019 में 43 अंक से घट कर वर्ष 2020 में 16 तक), उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे (2019 में 47 अंक से घट कर 2020 में 24) में गिरावट दर्ज की गई है।[7]

तालिका 3: बिहार राज्य के प्रमुख पर्यावरण और जलवायु संकेतक की स्थिति

मापदंड	संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
सामान्य[8]	कुल जनसंख्या	104,099,452	जनसंख्या की दृष्टिकोण से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
	भौगोलिक क्षेत्र	94,164 कि०मी०^2	क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है।
	जनसंख्या घनत्व	1102 प्रति कि०मी०^2	सभी भारतीय राज्यों में बिहार का 6वां स्थान है।
सतत् विकास लक्ष्य[9]	समग्र एस.डी.जी. श्रेणी	52	2019 से अंक में 2 की वृद्धि दर्ज की गई है।
	स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (लक्ष्य–6)	91	2019 में बिहार की रैंक 16वीं से बढ़कर 2020 में 5वीं हो गई है।
	सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य–7)	78	2019 से 2020 तक 16 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।
	जलवायु क्रिया (लक्ष्य–13)	16	बिहार की रैंक 2019 में 18वें से घटकर 2020 में 28वें स्थान पर आ गई है।
	भूमि पर जीवन (लक्ष्य–15)	62	2019 से 2020 तक 9 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।

5 भारत की जनगणना 2011
6 भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2019https://fsi.nic.in/isfr19/vol1/chapter2.pdf
7 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking
8 सेन्सस 2011
9 एसडीजी रिपोर्ट 2020–21

मापदंड	संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
भूमि उपयोग[10,11]	ऊसर भूमि	7.69 लाख हेक्टेयर	2008–09 से ऊसर भूमि क्षेत्र में कुल मिलाकर 1.13 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है।
	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	21.66 लाख हेक्टेयर	2018–19 से कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में 0.155 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
	परती भूमि	11.86 लाख हेक्टेयर	2018–19 से परती भूमि में 0.73 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
	अकृष्य भूमि परती भूमि को छोड़कर	2.6467 लाख हेक्टेयर	2018–19 से 0.012 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
	सकल शस्य क्षेत्र	72.96 लाख हेक्टेयर	2018–19 से 1.0957 लाख हेक्टेयर में कमी हुई है।
वन[12]	कुल हरित आवरण का क्षेत्रफल (वन क्षेत्र के बाहर तथा अन्दर)[13]	13,331 कि०मी०^2	2019 से वन क्षेत्र में 565 कि०मी०^2 की वृद्धि दर्ज के साथ अधिसूचित वन क्षेत्रफल 7,442 कि०मी०^2 है।
	हरित आवरण का भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में प्रतिशत[13]	14.16 प्रतिशत	2019 से अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष के क्षेत्रफल में 75 कि०मी०^2 की वृद्धि दर्ज की गयी है।
	वृहद् घने वन	333कि०मी०^2	2019 से कोई वृद्धि दर्ज नही हुई है।
	मध्यम घने वन	3,286 कि०मी०^2	2019 से 6 कि०मी०^2 की वृद्धि दर्ज हुई है।
	खुले वन	3,762 कि०मी०^2	2019 से 69 कि०मी०^2 की वृद्धि दर्ज हुई है।
	वनावरण में परिवर्तन (2019 की तुलना में)	1.03 प्रतिशत	भारत के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार छठे स्थान पर है।
	वृक्ष आच्छादन	2,341 कि०मी०^2	वृक्ष आच्छादन बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48 प्रतिशत है।
	वन कार्बन स्टॉक	56.881 मि.टन	2019 से 1.642 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
	ग्रोइंग स्टॉक	71.56 मि.मी०^3	2019 से 4.37 मिलियन मी०^3 की वृद्धि हुई है।
भूजल[13]	वार्षिक भूजल रिचार्ज (2020)	28.05 बिलियन मी०^3	कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज उत्तर प्रदेश (72.02 बिलियन मी०^3), पश्चिम बंगाल (29.33 बिलियन मी०^3), मध्य प्रदेश (36.16 बिलियन मी०^3), महाराष्ट्र (32.01 बिलियन मी०^3) को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक है।

10 वैस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 2019
11 लैंड यूज़ स्टेटिस्टिक्स, एमओए, भारत सरकार
12 इंडिया फ़ॉरेस्ट स्टेटस् रिपोर्ट 2021
13 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

मापदंड	संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
भूजल[13]	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (2020)	25.46 बिलियन मी०^3	कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन उत्तर प्रदेश (66.88 बिलियन मी०^3), पश्चिम बंगाल (26.56 बिलियन मी०^3), मध्य प्रदेश (33.38 बिलियन मी०^3), महाराष्ट्र (30.25 बिलियन मी०^3) को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक है।
	सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण (2020)	13.02 बिलियन मी०^3	सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए बिहार का वार्षिक भूजल निष्कर्षण निम्नलिखित राज्यों से कम है– गुजरात (13.30 बिलियन मी०^3), तमिलनाडु (14.67 बिलियन मी०^3), राजस्थान (16. 63 बिलियन मी०^3), महाराष्ट्र (16.63 बिलियन मी०^3), मध्य प्रदेश (18.97 बिलियन मी०^3), उत्तर प्रदेश (46.63 बिलियन मी०^3)।
	भूजल निष्कर्षण का चरण	51.41 प्रतिशत	बिहार के भूजल निष्कर्षण का चरण निम्नलिखित राज्यों से बेहतर है– गुजरात (53.30%), हरियाणा (134.56%), कर्नाटक (64.85%), पंजाब (164.42%), राजस्थान (150.22%), तमिलनाडु (82.93%), उत्तर प्रदेश (68.83%)।
कचरा प्रबंधन[14]	सीवेज जनरेशन	22,760 लाख लीटर प्रति दिन	बिहार निम्नलिखित राज्यों की तुलना में अधिक सीवेज उत्पन्न करता है– असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड।
	सीवेज उपचार क्षमता	100 लाख लीटर प्रति दिन	बिहार की सभी राज्यों में सबसे कम क्षमता है।
	उपचारित सीवेज की वास्तविक मात्रा	0 लाख लीटर प्रति दिन	बिहार में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि उसने अभी तक उपचार क्षमता का उपयोग नहीं किया है।
	नगरपालिका एसटीपी की संख्या	1	बिहार की सभी राज्यों में सबसे कम क्षमता है।
	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न	4,334 टन प्रति दिन	बिहार असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, ओडिशा की तुलना में अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है।

13 ग्राउंडवाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2020
14 सीपीसीबी 2020

मापदंड	संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
प्रदूषण (जल)[15]	आयरन (स्तर >1मिलीग्राम/ली)	16	बिहार में आयरन प्रभावित जिले– औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल, पश्चिम चंपारण।
	आर्सेनिक (स्तर >0.05 मिलीग्राम/ली)	15	बिहार में आर्सेनिक प्रभावित जिले– बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, वैशाली।
	नाइट्रेट (स्तर >45 मिलीग्राम/ली)	22	बिहार में नाइट्रेट प्रभावित जिले– औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, कैमूर (भभुआ), पटना, रोहतास, सारण, सीवान।
	फ्लोराइड (स्तर >1.5 मिलीग्राम/ली)	9	बिहार में फ्लोराइड प्रभावित जिले– औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर (भभुआ), मुंगेर, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय।
प्रदूषण (वायु)[16]	Sox (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन)	10.42 mcg/मी०^3	बिहार का Sox स्तर गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बेहतर है।
	Nox (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन)	24.14 mcg/मी०^3	बिहार का Nox स्तर दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से बेहतर है।
	PM2.5 (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन)	107.5 mcg/मी०^3	बिहार का पीएम 2.5 स्तर दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बेहतर है।
	PM10 (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन)	125 mcg/मी०^3	बिहार का पीएम 10 का स्तर दिल्ली, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बेहतर है।
जलवायु परिवर्तन[17,18]	जलवायु परिवर्तन सुभेद्यता रैंकिंग	6	झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम के साथ बिहार में जलवायु परिवर्तन की उच्च संवेदनशीलता है।

15 सीपीसीबी 2021
16 सीपीसीबी 2021
17 क्लाइमेट वल्नेरेबिलिटी अस्सेस्मेंट फ्रेमवर्क
18 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स

मापदंड	संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
	चरम तापमान न्यूनतम/ अधिकतम	3.6°C/45.8°C	गया में 2020 में अत्यधिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।
	वार्षिक वर्षा	1521.5मि०मी०	2011 की तुलना में 2020 में 304.2 मि०मी० वार्षिक वर्षा में वृद्धि दर्ज किया गया है।
	औसत हवा की गति	5.1कि०मी० प्रति घंटा	गया में 6.9 कि०मी० प्रति घंटे की अधिकतम हवा की गति दर्ज की गई है।
आपदा[19]	हीट वेव दिनों की संख्या	1	2019 की तुलना में बिहार में हीट वेव के दिनों में 11 दिनों की कमी दर्ज की गई है।
	शीत लहर के दिनों की संख्या	6	2019 की तुलना में बिहार में शीत लहर के दिनों में 4 दिन की कमी दर्ज की गई है।
	चक्रवात की संख्या	1	बिहार के साथ 10 राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल) प्रभावित हुए।
	बाढ़ संभावित जिलों की संख्या	28	**सर्वाधिक संवेदनशील–** पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर। **संवेदनशील–** पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज।
	सूखा प्रभावित जिलों की संख्या	13	**संवेदनशील–** गया, नवादा, जमुई, नालंदा, लखीसराय **उन्मुख–** जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद **संभावित–** कैमूर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, बांका

19 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

मापदंड	संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
जैव विविधता[21,22,23]	**स्थलीय संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य सहित)[20]**		
	क्षेत्रफल	3,738.28 कि०मी०^2	बिहार का स्थलीय संरक्षित क्षेत्र हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना से अधिक है।
	संख्या	16	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, उदयपुर वन्यप्राणी आश्रयणी, कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी, गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी, भीमबांध वन्यप्राणी आश्रयणी, पंत वन्यप्राणी आश्रयणी, विक्रमशिला गांगेय डॉलफिन आश्रयणी, नागी डैम पक्षी आश्रयणी, नकटी डैम पक्षी आश्रयणी, काँवर झील पक्षी आश्रयणी, कुशेश्वरस्थान पक्षी आश्रयणी, सलीम अली जुब्बा सहनी बरैला झील पक्षी आश्रयणी, रजौली वन्यप्राणी आश्रयणी, गोगाबिल संरक्षण आरक्ष, गोगाबिल सामुदायिक आरक्ष, भलुनी धाम संरक्षण आरक्ष।
	बाघ की जनसंख्या[24]	31	बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में बाघों की संख्या 2018 की जनगणना में 26 से 37 के बीच पायी गयी है।
	टाइगर रिजर्व	1	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
	डॉल्फिन आश्रयणी	1	विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है।
	तेन्दुआ की जनसंख्या	98	2018 की जनगणना में बिहार में तेन्दुओं की संख्या 90 से 106 के बीच पायी गयी है।
	गज की जनसंख्या	25	बिहार में गज की उपस्थिति पड़ोसी क्षेत्रों जैसे झारखण्ड, उड़िसा, छत्तीसगढ़ और नेपाल के जंगलों से आवाजाही के कारण है।
	आद्र भूमि[25]		
	संख्या	21,998	बेगूसराय के बाद कटिहार और सहरसा में आर्द्रभूमि की सीमा सबसे अधिक है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत है।
	क्षेत्र	4,03,209 हेक्टे.	आर्द्र भूमि भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.4 प्रतिशत है।
	रामसर स्थल[26]	1	बेगूसराय की कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट 2022 में घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है।

20 नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून
21 जेडएसआई 2020
22 बीएसआई 2020
23 प्रोजेक्ट एलीफैंट डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फ़ॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2017
24 नेशनल टाइगर कजर्वेशन ऑथोरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फ़ॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2018
25 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया 2021, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद
26 रामसार साइट्स इनफार्मेशन 2022

बजट सारांश

विगत दो वर्षों से बिहार सरकार विधानमंडल के समक्ष हरित बजट पेश करता आ रहा है। जैसा की ऊपर के भागों में विस्तृत रूप से व्याख्यान किया गया है। हरित बजट एक विशेष विषय आधारित, विभागवार किए जा रहे सतत् विकास कार्यों का समेकित आंकलन प्रस्तुत करता है जिससे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत एवं योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रगतिशील प्रयास का पता चलता है। तालिका 4 विगत दो वर्षों की तुलना में हरित बजट हेतु राज्य के कुल बजट के अनुरूप बजट अनुमान तथा उनका वास्तविक व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। वहीं तालिका 5 विगत दो वर्षों की तुलना में विभागवार हरित बजट हेतु बजट अनुमान को प्रदर्शित करती है। इसके अलावे तालिका 6 वर्ष 2020–21 के हरित बजट अनुमान की तुलना में किए गए वास्तविक व्यय की तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है। चालू वित्तीय वर्ष में विभागवार हरित क्रियान्वयन हेतु बजट प्रावधानों का विश्लेषण कुछ इस प्रकार है –

तलिका 4–हरित बजट सारांश

(राशि करोड़ रु0 में)

क्रं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 बजट अनुमान	पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष में वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1	राज्य का कुल बजट परिव्यय	211761.49	218302.70	237691.19	8.88
2	हरित बजट अंतर्गत चिन्हित विभागों का कुल स्कीम बजट	81176.46	79359.73	79255.54	–0.13
3	विभाग द्वारा चन्हित हरित बजट योजनाओं/कार्यक्रमों का कुल बजट	27162.85	29337.33	28380.42	–3.26
4	चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के अवयव का कुल हरित बजट	5693.88	7682.91	7710.25	0.35
5	कुल चिन्हित विभागों के बजट आवंटन की तुलना में कुल हरित बजट प्रतिशत	7.01%	9.68%	9.73%	
6	विभागवार चिन्हित हरित बजट योजनाओं/कार्यक्रमों की तुलना में हरित बजट प्रतिशत	21.00%	26.19%	27.17%	

तलिका 5– विभागवार हरित बजट सारांश

(राशि करोड़ रू0 में)

क्र. सं.	चिन्हित विभाग	हरित बजट अनुमान वर्ष 2022–23				
		कुल स्कीम आवंटन	चिन्हित योजनाओं का कुल आवंटन	चिन्हित योजनाओं का हरित बजट	कुल आवंटन का हरित प्रतिशत	चिन्हित योजनाओं का हरित प्रतिशत
1	कृषि	2746.99	1337.34	759.92	27.66	56.82
2	उद्योग[27]	1545.00	0.01	-	-	-
3	पशु एवं मत्स्य संसाधन	1194.51	651.63	218.60	18.30	33.55
4	पर्यटन	300.00	155.00	4.00	1.33	2.58
5	पथ निर्माण	4420.99	2226.89	66.81	1.51	3.00
6	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1947.65	25.00	25.00	1.28	100.00
7	गन्ना उद्योग	100.00	98.70	98.70	98.70	100.00
8	ग्रामीण कार्य	7950.27	8294.27	459.64	5.78	5.54
9	लघु जल संसाधन	826.87	795.87	793.28	95.94	99.67
10	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन[28]	662.85	654.53	654.53	98.74	100.00
11	जल संसाधन	3232.63	3232.63	576.76	17.84	17.84
12	भवन निर्माण	4133.43	999.87	107.58	2.60	10.76
13	स्वास्थ्य	7035.16	5.00	5.00	0.07	100.00
14	शिक्षा	22198.38	389.45	8.03	0.04	2.06
15	ग्रामीण विकास	14996.19	6155.20	2766.03	18.44	44.94
16	सूचना एवं जन–संपर्क	101.00	82.23	4.11	4.07	5.00
17	परिवहन	242.00	160.00	50.75	20.97	31.72
18	नगर विकास एवं आवास	4035.10	3056.80	1051.51	26.06	34.40
19	उर्जा	1586.52	60.00	60.00	3.78	100.00
	कुल	**79255.54**	**28380.42**	**7710.25**	**9.73**	**27.17**

27 चालू वित्तीय वर्ष में उद्योग विभाग द्वारा कोई चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों में हरित अवयव के ना होने पर हरित बजट हेतु चिन्हांकन नहीं किया गया है।

28 चुकी पर्यावरण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य का पूर्ण उद्देश्य ही पर्यावण संरक्षण तथा संधार्नियेता अस्थापित करना है अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनाओं/ कार्यक्रमों में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय दोनों की राशि को शामिल किया गया है।

तलिका 6– विभागवार हरित बजट अनुमान की तुलना में व्यय सारांश

(राशि करोड़ रू0 में)

चिन्हित विभाग	चिन्हित योजनाओं/ कार्यक्रमों का कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21	चिन्हित योजनाओं/ कार्यक्रमों की तुलना में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21	चिन्हित योजनाओं/ कार्यक्रमों का कुल हरित अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21	चिन्हित योजनाओं/ कार्यक्रमों की तुलना में कुल हरित व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21
कृषि	*1421.85*	*557.39*	*798.54*	*302.67*
उद्योग	*10.00*	*0.00*	*10.00*	*0.00*
पशु एवं मत्स्य संसाधन	*146.74*	*170.52*	*80.47*	*47.54*
पर्यटन	*221.14*	*38.68*	*20.00*	*2.07*
पथ निर्माण	*3951.96*	*2380.24*	*51.58*	*40.64*
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	*37.00*	*34.01*	*37.00*	*34.01*
गन्ना उद्योग	*30.00*	*32.74*	*7.09*	*3.88*
ग्रामीण कार्य	*8418.95*	*3772.03*	*290.69*	*235.23*
लघु जल संसाधन	*787.50*	*259.19*	*785.00*	*259.08*
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	*440.00*	*214.99*	*440.00*	*214.99*
जल संसाधन	*3000.00*	*1966.96*	*300.00*	*213.92*
भवन निर्माण	*620.00*	*389.79*	*24.03*	*34.68*
स्वास्थ्य	*10.00*	*0.72*	*10.00*	*0.72*
शिक्षा	*78.00*	*78.27*	*73.25*	*0.05*
ग्रामीण विकास	*4605.23*	*8161.68*	*1914.01*	*1427.37*
सुचना एवं जन संपर्क	*82.73*	*78.85*	*11.50*	*10.61*
परिवहन	*195.00*	*130.45*	*195.00*	*130.45*
नगर विकास एवं आवास	*3071.75*	*1896.57*	*610.72*	*337.11*
ऊर्जा	*35.00*	*18.29*	*35.00*	*12.50*
कुल	**27162.85**	**20181.37**	**5693.88**	**3307.52**
वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों पर बजट अनुमान की तुलना में व्यय प्रतिशत			**74.30 प्रतिशत**	
वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल चिन्हित हरित योजनाओं/कार्यक्रमों पर हरित अनुमान की तुलना में व्यय प्रतिशत			**58.09 प्रतिशत**	

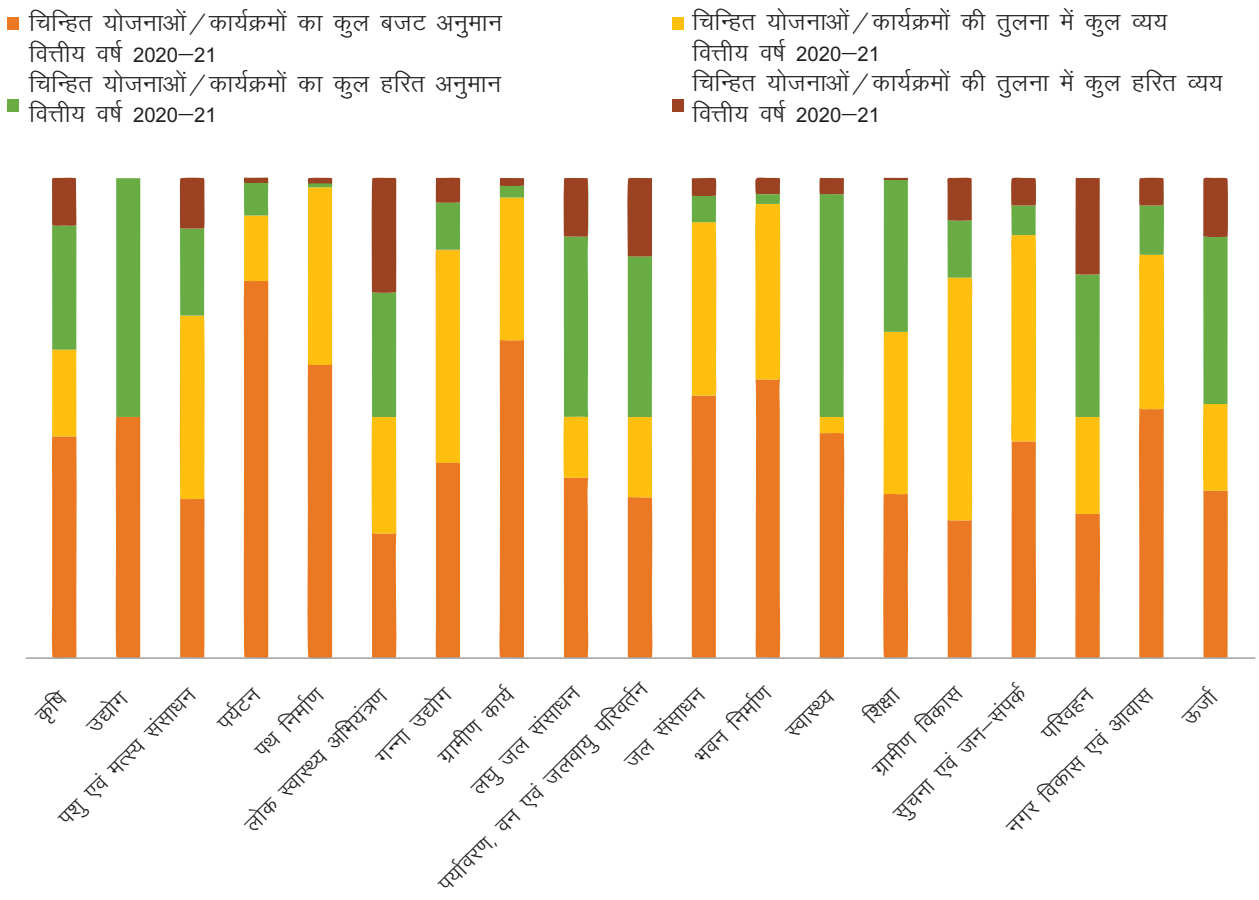

चित्र 3–विभागवार हरित बजट अनुमान की तुलना में व्यय चित्रण

तलिका 7–वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में हरित बजट निर्माण हेतु चिह्नित योजनाओं/कार्यक्रमों की विभागवार संख्या

क्र.	चिह्नित विभाग	वर्ग *100%*		वर्ग *90-75%*		वर्ग *75-50%*		वर्ग *50-25%*		वर्ग *25-05%*		वर्ग *05%* या कम		2022–23 में कुल चिह्नित योजना/ कार्यक्रम	2021–22 में कुल चिह्नित योजना/ कार्यक्रम
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22		
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	34	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34**	**31**
2	लघु जल संसाधन	15	15	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**	**18**
3	परिवहन	2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**3**	**5**
4	शिक्षा	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	8	3	**10**	**5**
5	ग्रामीण विकास	10	2	0	0	2	6	0	0	0	0	31	17	**43**	**25**
6	ऊर्जा	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**2**
7	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
8	नगर विकास एवं आवास	5	2	6	9	0	0	14	14	15	10	16	2	**56**	**37**
9	उद्योग	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**
10	भवन निर्माण	1	2	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	**6**	**7**
11	कृषि	3	3	14	7	24	26	18	22	20	21	4	0	**83**	**79**
12	पशु एवं मत्स्य संसाधन	5	8	0	0	4	0	6	2	2	2	5	4	**22**	**16**
13	जल संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	**20**	**20**
14	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	**3**	**3**
15	गन्ना उद्योग	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	**6**	**3**
16	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	5	4	**7**	**9**
17	सुचना एवं जन–संपर्क	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	**1**	**1**
18	पर्यटन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**	**1**
19	स्वास्थ्य	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
2022–23 एवं 2021–22 में कुल चिह्नित योजनाएं/ कार्यक्रम योग		**87**	**74**	**23**	**19**	**34**	**36**	**38**	**44**	**63**	**59**	**74**	**35**	**319**	**267**

तालिका 8–विभागवार चिह्नित योजनाओं/कार्यक्रमों की एसडीजी मानचित्रण

चिह्नित विभाग	एसडीजी 11	एसडीजी 12	एसडीजी 13	एसडीजी 14	एसडीजी 15	एसडीजी 2	एसडीजी 4	एसडीजी 5	एसडीजी 6	एसडीजी 7	एसडीजी 8	एसडीजी 9	कुल
कृषि	0	0	0	0	10	23	0	0	9	0	0	0	42
पशु एवं मत्स्य संसाधन	0	0	0	5	5	12	0	0	7	0	0	1	30
भवन निर्माण	1	1	1	0	3	0	0	0	1	1	0	1	9
शिक्षा	0	0	5	0	2	0	4	0	2	3	0	3	17
उर्जा	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	4	0	14	2	24	4	0	0	0	0	9	2	59
स्वास्थ्य	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
उद्योग	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
सूचना एवं जन–संपर्क	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5
लघु जल संसाधन	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	0	9
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
पथ निर्माण	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
ग्रामीण विकास	0	0	2	0	3	0	0	1	6	0	3	0	15
ग्रामीण कार्य	0	4	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11
गन्ना उद्योग	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	4
पर्यटन	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
परिवहन	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
नगर विकास एवं आवास	16	1	4	0	3	0	0	0	10	1	0	1	36
जल संसाधन	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	24
कुल योग	**25**	**8**	**40**	**7**	**58**	**58**	**4**	**1**	**56**	**8**	**12**	**9**	**288**

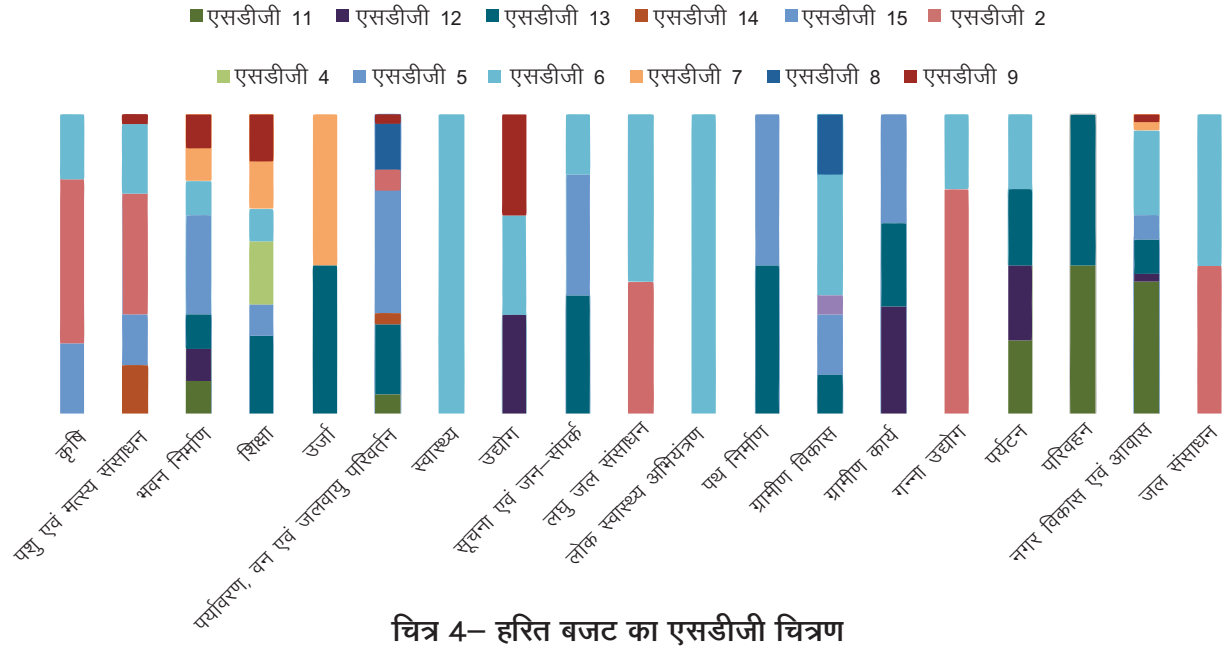

चित्र 4– हरित बजट का एसडीजी चित्रण

तालिका 9–विभागवार चिह्नित योजनाओं/कार्यक्रमों की गतिविधि मूल्यांकन

चिह्नित विभाग	कार्यक्रम कार्यान्वयन	शिक्षा एवं जागरूकता	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना	अनुदान	निवेश	विनियमन एवं प्रवर्तन	अनुसंधान एवं विकास	प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
कृषि	98	59	28	61	3	0	37	58
पशु एवं मत्स्य संसाधन	21	7	18	16	0	0	16	23
भवन निर्माण	9	0	4	0	0	0	0	0
शिक्षा	10	8	2	0	0	0	0	0
उर्जा	3	0	3	3	3	0	3	2
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	48	12	3	0	3	1	14	26
स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	0	0
उद्योग	1	0	1	0	1	0	1	1
सूचना एवं जन–संपर्क	0	2	0	0	0	0	0	0
लघु जल संसाधन	18	3	15	18	3	0	0	0
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	3	0	3	0	0	0	0	0
पथ निर्माण	4	0	4	0	1	0	0	0
ग्रामीण विकास	49	43	2	35	0	0	0	42
ग्रामीण कार्य	8	0	2	0	0	0	0	0
गन्ना उद्योग	6	3	3	6	3	0	3	3
पर्यटन	1	0	0	0	0	0	0	0
परिवहन	8	0	5	8	2	0	1	8
नगर विकास एवं आवास	56	27	17	3	1	0	0	8
जल संसाधन	16	3	16	0	0	0	1	3
कुल चिह्नित गतिविधि	**360**	**167**	**126**	**150**	**20**	**1**	**76**	**174**

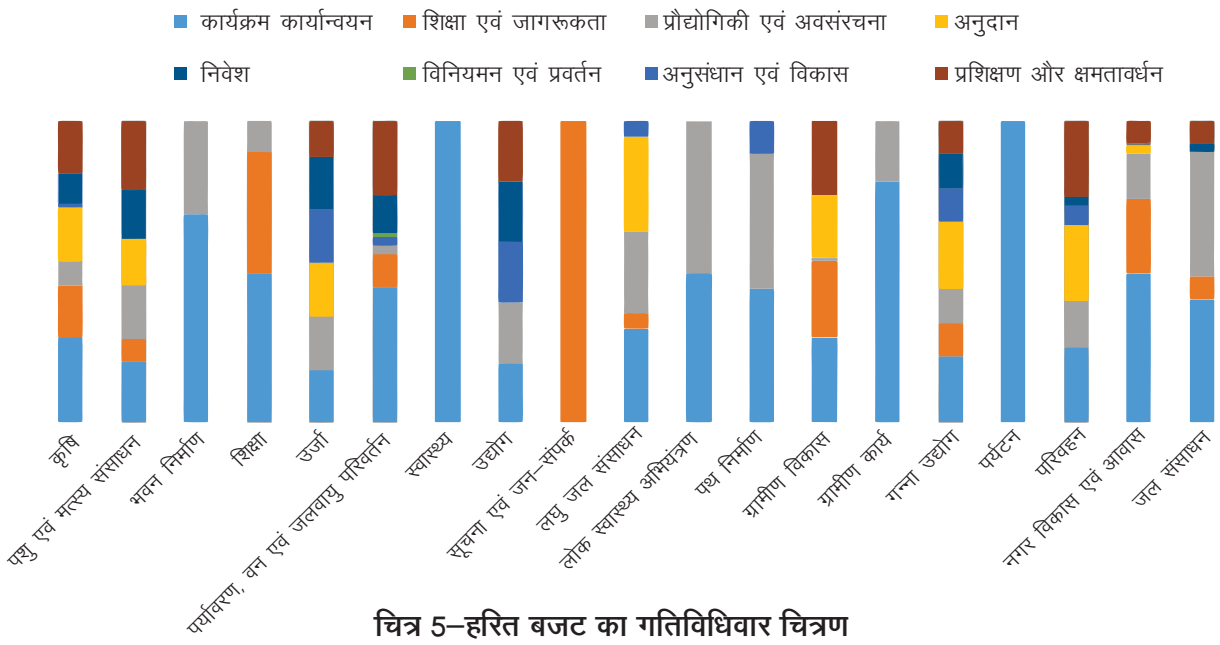

चित्र 5–हरित बजट का गतिविधिवार चित्रण

निष्कर्ष

चालू वित्तीय वर्ष में विभागों के कुल चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के बजट आवंटन की तुलना में कुल हरित बजट लगभग 9.73 प्रतिशत रहा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मामूली अंतर जो की 0.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष हरित बजट आवंटन (अनुमान) लगभग 7682.91 करोड़ रुपये था जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़कर 7710.24 करोड़ रुपये हरित बजट आवंटन (अनुमान) दर्ज किया गया। हालांकि विभागवार चिन्हित हरित बजट योजनाओं की तुलना में हरित बजट 27.17 प्रतिशत रहा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 0.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर विभागों द्वारा चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के योगदान में अच्छी वृद्धि के दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में, हरित बजट हेतु चिह्नित कुल 319 योजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। वही पिछले वित्त वर्ष में, हरित बजट हेतु चिह्नित कुल 267 योजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। गौर करने वाली बात यह है की हरित बजट के निर्माण में वैसे योजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जिनका पर्यावरण संधारणीयता के दृष्टिकोण से लाभकारी प्रभाव पड़ता हो तथा नकारात्मक प्रभाव ना पड़ता हो। चिह्नित विभाग उनके द्वारा किए जा रहे योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान कर उनके उद्देश्य तथा परिणामों का आंकलन करते हैं। इसके फलस्वरूप विभागों द्वारा वैसे चिह्नित योजनाओं/कार्यक्रमों पर अनुमानित बजट तथा व्यय का आंकलन कर उनके महत्व के अनुसार हरित घटक का वर्गीकरण करते हैं।

हालांकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों पर बजट अनुमान जो की 27162.85 करोड़ रुपये की तुलना में कुल व्यय लगभग 74.30 प्रतिशत रहा। वहीं वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल चिन्हित हरित योजनाओं/कार्यक्रमों पर बजट अनुमान जो की 5693.88 करोड़ रुपये की तुलना में कुल व्यय लगभग 58.09 प्रतिशत रहा। हालाकि हरित अवयव वाले स्कीमों के अनुमानित बजट में 3.26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। परन्तु गौर करने वाली बात यह है की कोरोना महामारी से उबरते राज्य की अर्थव्यवस्था में यह प्रयास सराहनीय है। राज्य के कुछ विभागों सूचना एवं जन संपर्क, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण संधारणीयता हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

चालू वित्तीय वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के मुल्यांकन के आधार पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, तथा गन्ना उद्योग विभागों का योगदान हरित बजट में शत प्रतिशत दर्ज किया गया है। गौर करने वाली बात यह है की पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में गन्ना विभाग ने लगभग 60 प्रतिशत, तथा जल संसाधन विभाग ने लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अपना हरित योगदान सुनिश्चित किया है। वहीं दूसरी ओर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में परिवहन विभाग का हरित बजट योगदान लगभग 60 प्रतिशत, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का हरित बजट योगदान लगभग 24 प्रतिशत, तथा शिक्षा विभाग का हरित बजट योगदान लगभग 30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

हरित बजट निर्माण हेतु विभागवार चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के एसडीजी टैगिंग एवं इसके विश्लेषण के आधार पर तालिका–8 से पता चलता है कि यह बजट मुख्य रूप से चार एसडीजी लक्ष्यों–जलवायु क्रिया (एसडीजी 13), भूमि पर जीवन (एसडीजी 15), स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (एसडीजी 6), एवं सुव्यवस्थित शहरीकरण और समुदाय (एसडीजी 11) के परिणामों को प्रदर्शित करता है। इस स्तर पर इन परिणामों को राज्य की पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में प्रारंभिक संकेत माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त चिह्नित विभागों द्वारा अन्य पर्यावरण संधारणीयता लक्ष्यों– शुन्य भुखमरी (एसडीजी 2), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4), लैंगिक समानता (एसडीजी 5), सस्ती तथा प्रदुषण मुक्त उर्जा (एसडीजी 7), उत्कृष्ट कार्य तथा आर्थिक वृद्धि (एसडीजी 8), उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा (एसडीजी 9), उचित उत्पादन एवं खपत (एसडीजी 12) जैसे में अपेक्षित परिणामों हेतु प्रयास किया

जा रहा है। साथ ही साथ, इस वर्ष विभागवार चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों की गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया गया है।

प्रत्येक योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा विवरण के आधार पर तालिका 9 में तैयार की गई है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के मानचित्रण, जो कि कार्यक्रम कार्यान्वयन, शिक्षा एवं जागरूकता, निवेश, विनियमन एवं प्रवर्तन, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन, अनुदान, प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना में वर्गीकृत किया गया है। मानचित्रण गतिविधि से यह पता चलता है की कार्य योजनाओं में सर्वाधिक 360 कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर केन्द्रित है। हलांकि, 174 कार्य योजनाएं प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन पर, 167 कार्य योजनाएं शिक्षा एवं जागरूकता पर, 150 कार्य योजनाएं अनुदान पर, 126 कार्य योजनाएं प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना पर, तथा 76 कार्य योजनाएं अनुसंधान एवं विकास गतिविधि पर केन्द्रित हैं।

बिहार एक कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत हरित गतिविधियों का क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता है। विशेषकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा जैव विविधता के ह्रास के विरूद्ध अनुकूलता लाने एवं 'आत्म निर्भर भारत' के तहत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु आधारभूत संरचना और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। हरित विकास हेतु विभागों की योजनाओं में अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना, प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन जैसे पहलुओं पर विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। राज्य के 'शुन्य उत्सर्जन' प्रतिज्ञा एवं जलवायु कार्यवाही के मद्देनज़र ऐसे कदम इस दशक के अंत तक संतोषजनक परिणाम दे सकते हैं।

पर्यावरण संधारणीयता हेतु विभागवार संचालित प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

बिहार राज्य में वर्ष 2022 के अंत तक वृक्षाच्छादन क्षेत्र को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण तथा उनपर निर्भर जीवन को स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाना है। इसके तहत राज्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 3.89 करोड़ पौधे लगाए गये। बांस वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु भागलपुर एवं अररिया (कुसियारगांव) जिलान्तर्गत प्लान्ट टिशू कल्चर लैब की स्थापना की गई है जिससे वर्ष 2022–23 में लगभग 03 लाख बांस के पौधे प्राप्त हो सकेंगे।

प्रदूषण नियंत्रण

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अनुदान की राशि से प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत सभी जिलों में वायु प्रबोधन केन्द्र एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कार्यालय–सह–लैब की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदुषण नियंत्रण पर्षद को वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 12.00 करोड़ रू. मात्र अनुदान देने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत कुल 38 अनवरत परिवेशिय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव, हाजीपुर औद्यौगिकी क्षेत्र का पर्यावरण ऑडिट कार्य तथा बिहार स्थित ताप विधुत संयंत्रों के तृतीय पक्ष से पर्यावरणीय परफॉरमेंस की जाँच का कार्य किया जाएगा। इसके अलावे बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद द्वारा राज्य की पहली वायु प्रयोगशाला की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है।

डॉलफिन संरक्षण

बिहार राज्य में देश का एकमात्र डॉलफिन आश्रयणी अवस्थित है। यह आश्रयणी सुल्तानगंज से कहलगांव तक भागलपुर जिला में 60 कि0मी0 गंगा नदी की लंबाई में फैली हुई है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉलफिन पर शोध, परीक्षण हेतु नेशनल डॉलफिन रिसर्च केन्द्र, पटना की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल रूपये 3052.00 लाख की स्वीकृति दी गयी है। राष्ट्रीय डॉलफिन शोध केन्द्र, भवन का निर्माण पटना में प्रारंभ है, इस केन्द्र का अंतरिम कार्यालय पटना में कार्यरत है।

ईको– टूरिज्म एवं पार्क विकास

राज्य में ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा एक विशेष ईको–टूरिज्म संभाग का सृजन किया गया है। 250 एकड़ क्षेत्रफल में फैला नेचर–सफारी तथा 480 एकड़ क्षेत्रफल में फैला जू–सफारी राज्य के राजगीर में निर्मित ईको–टूरिज्म के दृष्टिकोण से पहला सफारी पार्क है। इसके अंतर्गत विभिन्न जिलों में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्थानांतरित 133 पार्कों का विकास एवं रख–रखाव तथा पटना अवस्थित पार्कों के विकास एवं रख–रखाव का कार्य प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत पटना जिले में 103 पार्क का रख–रखाव कार्य प्रस्तावित है।

व्याघ्र परियोजना

राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष टाइगर रिज़र्व के रूप में घोषित है। इसके अन्तर्गत वाल्मीकि नेशनल उद्यान एवं वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष वन क्षेत्र का विस्तार 901.07 वर्ग किलोमीटर में है। इस क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में कैमरा ट्रैप विधि से कराये गये बाघों की संख्या 26 से 106 तक पायी गयी है। वर्ष 2020–21 में कराये गये गणना प्रतिवेदन एवं कैमरा ट्रैप के फोटो भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को भेजा गया है। प्राप्त आंकड़ों में आरक्ष क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक (कॅन्सर्वेशन अगेन्स्ड टाइगर स्टैण्डर्ड) द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को बाघ संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु पुरस्कृत किया गया है।

गज परियोजना

बिहार राज्य के सीमावर्ती राज्यों से भटके हुए जंगली हाथियों से सुरक्षा, संरक्षण एवं नियंत्रण, न्यूनीकरण इत्यादि हेतु गज परियोजना अंतर्गत वार्षिक कार्य–योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष अंतर्गत हाथी पुर्नवास केन्द्र का प्रबंधन, एन्टी–पोचिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, क्षमतावर्द्धन, जनजाति उप–योजना और झारखण्ड एवं नेपाल से भटककर आये हुए जंगली हाथियों से सुपौल, अररिया, बांका एवं गया जिले में मानव–हाथी द्वंद के नियंत्रण इत्यादि विभिन्न संगत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

घड़ियाल संरक्षण

गंडक नदी में घड़ियाल के कुल 6 प्रजनन केन्द्रों की पहचान की गयी है। जून, 2020 में इन केन्द्रों से 114 घड़ियाल के बच्चे गंडक नदी में गये हैं। घड़ियाल के अतिरिक्त गंडक नदी में मगरमच्छ, डॉलफिन, कछुआ तथा कई प्रजाति के मछलियाँ पायी जाती है। जाड़े के मौसम में कई प्रवासी पक्षियाँ भी आती है। गंडक नदी में घड़ियाल एवं अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षण रिजर्व बनाये जाने का प्रस्ताव है।

वन्यजीव पर्यावास विकास

इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत तीन अवयव हैं (1) आश्रयणीयों की सुरक्षा, संरक्षण, एवं प्रबंधन (2) आश्रयणी के बाह्य क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा, तथा (3) संरक्षण एवं प्रबंधन संकटापन्न वन्यजीवों/जलीय जीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन। राज्य में वन्यप्राणी आश्रयणीयों के बाहर के इलाकों में मानव अथवा अन्य जंगली जानवरों द्वारा घायल तथा भटके वन्य जन्तुओं का रेस्क्यू एवं इलाज उपरांत पुनर्स्थापन किया जाता है। भागलपुर जिला के गांगेय क्षेत्र में संकटापन्न गरुढ़ पक्षी प्रजाति, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ी एवं गांगेय मैदानी कृषि बाहुल क्षेत्र के बीच उपलब्ध वन्यजीव कृष्ण–मृग (ब्लैक बग) की आबादी के प्रतिरक्षण, संख्यात्मक सर्वेक्षण, पारगमन आश्रय, अनुश्रवण गश्ती, जल व्यवस्था तथा सामुदायिक संरक्षण, सहरसा जिला के मोर आश्रय आरण ग्राम में मोर पक्षी के संरक्षण एवं प्राकृतिक वन/आश्रयणी के बाह्य वनों एवं संलग्न क्षेत्रों में उपलब्ध भालू तथा हिरण प्रजातियों का प्रतिरक्षण शामिल है।

वन्यप्राणी संरक्षण

बिहार राज्य में वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कुल 3550.31 वर्ग कि.मी. के प्राकृतिक वन, 1 व्याघ्र आरक्ष, 1 गंगाये डॉल्फिन, 6 वन्यप्राणी आश्रयणी एवं 5 पक्षी आश्रयणी, 2 संरक्षण आरक्ष, तथा 1 समुदाय आरक्ष के रूप में अधिघोषित है। इनमें से 3 आश्रयणियाँ काँवर झील पक्षी आश्रयणी (काँवर ताल), कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयणी, एवं शालिम अली जुब्बा साहनी बरैला झील पक्षी आश्रयणी (बरैला ताल) इत्यादि प्रमुख आद्र भूमि के रूप में चिन्हित हैं।

कैम्पा प्राधिकरण

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण के माध्यम से वनों के विकास, जल संरक्षण हेतु माइक्रो वाटरशेड क्षेत्र एवं अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जाना है। इसके अंतर्गत वन प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कुल 480 हेक्टेयर में चारागाह का विकास किया जा रहा है।

प्राकृतिक वनों के बाहर वानिकी

कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा रैयती भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा तथा कृषकों की भूमि पर पौधशालाएं स्थापित करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त विभागीय पौधशालाओं में 05 लाख पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिनका सम्पोषण किया जायेगा। प्राकृतिक वन के बाहर वानिकी अंतर्गत कृषि वानिकी, पथों के किनारे, नदी तट, शहरी वानिकी एवं अन्य जगहों पर कुल 155.00 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम

यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना अंतर्गत राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय समुदायों के आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

प्राकृतिक वनों का विकास

परंपरागत वन भूमि, मृदा जल संरक्षण अवकृष्ट वनों का पुनर्वास तथा पूर्व में किये गये पुनर्वास का संपोषण किया जायेगा। जलवायु परिवर्तन के नकरात्मक प्रभावों में कमी के लिये इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 73.84 लाख पौधे लगाये गये। वित्तीय वर्ष 2022–23 में वृक्षारोपण अंतर्गत प्राकृतिक वनों के विकास के लिये 60 लाख पौधे लगाने हेतु प्रारंम्भिक कार्य किया जाएगा, जिसमें पौधा रोपण वित्तीय वर्ष 2023–24 में होगा। इसके अतिरिक्त 3000 हेक्टेयर में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किये जायेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

इस अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जल संचय हेतु 332 तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 127 तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करा लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वामित्व वाले 442 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विरूद्ध 422 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। लक्षित 10870 चापाकलों के विरूद्ध 9722 चापाकलों के निकट सोख्ता का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। इसके अलावे लक्षित 3720 सार्वजनिक कुँओं में से 3330 कुँओं के निकट सोख्ता का निर्माण 4040 कुँओं के जीर्णोद्धार के लक्ष्य के विरूद्ध 3689 कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (सात निश्चय–2)

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का अलग–अलग वैज्ञानिक तरीके

से निस्तारण किया जा है। इसके अलावे राज्य के विभिन्न नगर निकायों द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत अब तक 4,10,016 शौचालय के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4,05,382 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। राज्य के 141 नगर निकायों में शत् प्रतिशत डोर–टू–डोर कचरे का संग्रहण एवं स्रोत पर ही कचरे का अलगाव किया जा रहा है तथा कुल संग्रहित 4,992.33 टन प्रति दिन (टी.पी.डी.) में से 27.43 प्रतिशत (1,369.42 टी.पी.डी) कचरे का प्रसंस्करण किया गया है। 35 नगर निकायों में 57 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एम.आर.एफ.) तथा 79 नगर निकायों में 141 वेस्ट टू कम्पोस्ट केन्द्र संचालित है। पटना में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए 05 टी.पी.डी. के क्षमता का एम.आर.एफ. की स्थापना यु.एन.डी.पी. के सहयोग से की गयी है। प्लास्टिक कैरी बैग एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को कम/समाप्त करने के उद्देश्य से प्रचार–प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख शहरी क्षेत्र पटना स्थित बैरिया से लिगेसी अपशिष्ट का जैव–खनन के माध्यम से निस्तारण का कार्य लगभग 60 प्रतिशत किया जा चूका है। साथ ही साथ घरेलु तथा बाजारू कचरे का प्रबंध हेतु आत्मनिर्भर वार्ड, स्वच्छता मतदान जैसे नए विकल्पों पर कार्य किया जा रहा है।

स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम (सात निश्चय–2)

स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंतर्गत जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नगर निकायों में ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे जल निकासी हो सके तथा स्वच्छता बरकरार रह सके। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार प्रथम चरण में राज्य के 18 नगर निगम क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

मोक्ष–धाम का निर्माण (सात निश्चय–2)

सात निश्चय–2 के अंतर्गत शवदाह हेतु विद्युत/परम्परागत शवदाह गृह का निर्माण किया जाना है, जिससे शवों को वैज्ञानिक तरीके से दाह संस्कार किया जायेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 35 जिला मुख्यालयों/प्रमुख नदी घाटों पर मोक्ष–धाम निर्माण कराने की योजना की स्वीकृति दी गई है।

नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना

इसके अंतर्गत नगर निगम–दरभंगा/कटिहार/सासाराम/छपरा, नगर परिषद्– सहरसा एवं फुलवारीशरीफ में जलजमाव की समस्या के निदान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है। इसके अंतर्गत नगर निकायों के लिए अन्य छोटी–छोटी योजनाएँ भी कार्यान्वित हैं।

मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना

मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत 10 फीट से कम चौड़ाई की गलियों का निर्माण पेभर ब्लॉक से कराया जाता है, जो वाटर रिचार्ज के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत 3,369 वार्डों के लक्ष्य के विरूद्ध 3,146 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इससे लगभग 8,26,446 घर लाभान्वित हैं।

अमृत मिशन

अमृत मिशन फॉर रेजुवेनेसन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना के अंतर्गत राज्य के 27 नगर निकायों में पार्क

निर्माण की योजना कार्यान्वित है, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण एवं हरित स्थल का विकास, 03 नगर निकायों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एवं 21 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के अंतर्गत वर्षा जल प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इससे जल की निकासी हो सकेगी तथा स्वच्छता को बरकरार रखा जा सकेगा। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भू–गर्भ जल संचयन एवं पुनर्भरण पीट भी बनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत स्टैंड पोस्ट भी लगेंगे, वहाँ रिचार्ज पीट भी बनाने का प्रावधान है।

पटना मेट्रो–रेल कॉरपोरेशन

प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत राजधानी पटना में दो कोरिडोर का चयन किया गया है। कॉरिडोर– 1 जो दानापुर से प्रारंभ होकर जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना रेलवे स्टेशन, मीठापुर से गुजरते हुए खेमनीचक तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 17.933 कि.मी. है। कॉरिडोर– 2 जो पटना रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर आकाशवाणी, गाँधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुलहक स्टेडियम, मलाही पकड़ी बाईपास, खेमनी चक, जीरो माइल होते हुए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 14.554 किमी. है। डी. एम. आर. सी. द्वारा कॉरिडोर– 2 के प्रायोरिटी सेक्शन में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 860 वोर्किंग पाइल्स, 50 पाइल्स कैप्स तथा 31 पैएर्स पूर्ण किया जा चुका है।

DAY-NULM योजना

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना अंतर्गत नगर निकायों में गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी शहरी महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कपड़े के थैलों का निर्माण कर उसे बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक के थैले का विकल्प एवं शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष रूप से यह कदम उठाया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना अंतर्गत संचालित आश्रय स्थलों में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी आश्रय स्थलों में जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

पटना स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 19 भवन/स्थलों पर सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है/किया जा रहा है, जिससे 913 kWh विद्युत शक्ति प्राप्त हो सके। बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 26 भवन/स्थलों सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है/किया जा रहा है, जिससे 140 kWh विद्युत शक्ति प्राप्त हो सके। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 07 भवन/स्थलों सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है/किया जा रहा है, जिससे 336 kWh विद्युत शक्ति प्राप्त हो सके।

परिवहन विभाग

बिहार स्वच्छ इंधन योजना

पटना शहरी क्षेत्र में वाहन जनित प्रदूषण की समस्या के निदान के उद्देश्य से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद् एवं खगौल नगर परिषद् क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च, 2022 के प्रभाव से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इन क्षेत्रों में सी.एन.जी. चालित एवं इलेक्ट्रिक चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक–07 नवम्बर, 2019 के प्रभाव से

बिहार स्वच्छ इंधन योजना लागू की गयी है। इसके अंतर्गत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसमें बैठने की क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, को नये सी.एन.जी. चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40,000 रूपए एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठने की क्षमता 7 व्यक्तियों तक है, को नये बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000 रूपए एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन जिसमें बैठने की क्षमता 7 व्यक्तियों तक है, में सी.एन.जी. किट के रेट्रोफिटमेन्ट कराने पर 20,000 रू0 एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा हैं। व्यावसायिक मोटर कैब तथा मैक्सी कैब में सी.एन.जी. किट के रेट्रोफिटमेंट कराने पर 20,000 रूपए एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। अबतक कुल 241 वाहन लाभुकों को 30,88,000 रूपए की अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। 31 जनवरी, 2022 तक कुल 476 लाभुकों को 1,23,20,000 रूपए की अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। पटना में 294 डीजल चालित तिपहिया वाहनों का सी.एन.जी. चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापन हेतु 73.00 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है। शेष राशि 427.00 लाख रूपये खर्च होने की संभावना है।

डीजल बसों का सी.एन.जी. में संपरिवर्तन

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सिटी बस सर्विस में परिचालित डीजल बसों को सी.एन.जी. में सम्परिवर्तित किया जा रहा है एवं सी.एन.जी. बसों को क्रय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में बस क्रय हेतु कुल 40 करोड़ रूपए का बजटीय उपबंध कराया गया है जिसमें कुल 11,41,50,000 रूपए का व्यय सी.एन.जी. बसों के क्रय हेतु किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में परिवहन निगम को बस क्रय हेतु कुल 20 करोड़ रूपए का बजटीय उपबंध कराया गया है। 50 सी.एन.जी. बस क्रय के आलोक में 1,141.50 लाख रूपये का व्यय किया जाना है एवं इसके अतिरिक्त 100 सी.एन.जी. बसों के क्रय हेतु 3,000.00 लाख रूपये के व्यय की संभावना है। इसके अतिरिक्त 28 डीजल बसों को सी.एन.जी. में सम्परिवर्तन किया जाना है।

सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन

गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पटना शहर में विभिन्न स्थानों पर तत्काल 5 सी.एन.जी. स्टेशन की स्थापना की गयी है। जिसके द्वारा सी.एन.जी. ऑटो एवं कार में सी.एन.जी.की आपूर्ति की जा रही है। अतिरिक्त सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। बेगुसराय में भी सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है।

इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन

पटना शहरी क्षेत्र में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा FAME-II परियोजना अन्तर्गत 25 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है। उक्त बसों का ओपेक्स (OPEX) मॉडल पर परिचालन हेतु M/s Ashok Leyland से 7 वर्षों का एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है। परियोजना की कुल लागत सात वर्षों के लिए 104.58 करोड़ रूपए है।

12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर हरित कर

पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 9 अप्रैल, 2010 के गजट प्रकाशन द्वारा जोड़े गए बिहार मोटरयान करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 5 की उपधारा (6) के अनुसार प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना निबंधित परिवहन वाहन है, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को छोड़कर, अतिरिक्त कर सहित कुल कर का 10 प्रतिशत हरित कर के रुप में देय है।

15 वर्ष से पुराने सरकारी तथा व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक

वाहनों से उत्सर्जित होने वाले जहरीले गैस के उत्सर्जन को कम करने हेतु राज्य सरकार के व्यवहृत 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के सरकारी वाहनों के परिचालन को विभागीय ज्ञापांक–8116, दिनांक– 05 नवम्बर, 2019 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ वायु प्रदुषण को कम करने के उद्देश्य से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनसे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस का उर्त्सजन होता है, के परिचालन पर विभागीय अधिसूचना–8145 दिनांक– 06 नवम्बर, 2019 द्वारा रोक लगा दी गई है।

प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना

वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के लिए मोटरयान अधिनियम के प्रावाधान के अन्तर्गत वाहनों के प्रदूषण जाँच के लिए अधिक से अधिक प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसको गति देने हेतु प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति का प्रत्यायोजन जिला परिवहन पदाधिकारी को किया गया है। सम्प्रति राज्य में 1123 प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जा चुके हैं। प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र के निर्गमन को भी ऑनलाईन किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदूषण जाँच किये गये वाहनों का डाटा सुरक्षित रहेगा एवं डिफॉल्टर वाहनों की जाँच सुगम हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की अधिसूचना–6297 दिनांक– 08 अगस्त 2019 के द्वारा इस योजना के तहत ई–रिक्शा के क्रय की मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत चयनित लाभुकों को ई–रिक्शा के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत, परन्तु अधिकतम 70,000 रूपए अनुदान का प्रावधान है। उक्त परियोजना में आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 170 करोड़ रूपए का बजटीय उपबंध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल 105 करोड़ रूपए का बजटीय उपबंध कराया गया है। लगभाग 800 ई–रिक्शा के क्रय की संभावना है।

वाहन रद्दीकरण योजना

वाहन जनित प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–5124, दिनांक–30 जून, 2020 द्वारा सभी प्रकार के निबंधित वाहन जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं अथवा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है अथवा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है अथवा रखे–रखे विनष्ट हो गये हैं अथवा अन्य किसी तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा ऐसे निजी या व्यावसायिक जो परिचालन के योग्य हो परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते है वैसे वाहनों को बकाये कर एवं अर्थदण्ड में राहत देते हुए योजना लाई गई है।

कृषि विभाग

जलवायु अनुकूल कृषि

बिहार राज्य को नियमित रूप से सूखे तथा बाढ़ का सामना करने योग्य बनाने हेतु कृषि विभाग द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति अपनाने का संकल्प लिया है। वर्ष 2019 में 8 जिलों के 40 गांवों में इस परियोजना की शुरुआत

होने के बाद बिहार में अबतक लगभग 1,00,000 से अधिक किसान इस पद्धति से परिचित हो चुके हैं। इस परियोजना को 2020 में 38 जिलों के 190 गांवों में विस्तारित किया गया था। शुरुआती स्तर पर इस योजना के अंतर्गत 14 फसल प्रणालियों की पहचान की गई है।

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना

राज्य में जैविक कोरिडोर योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत एकवर्षीय एवं बहुवर्षीय फसलों के क्षेत्र विस्तार की योजना क्रियान्वित की जा रही है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती पर बल दिया जा रहा है। ड्रिप इरीगेशन का उपयोग किया जा रहा है।

परम्परागत कृषि विकास योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती के परम्परागत संसाधनों का उपयोग को प्रोत्साहित करना एवं जैविक उत्पादों को बाज़ार के साथ जोड़ना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर एवं पी.जी.एस. प्रमाणीकरण के द्वारा जैविक गाँव विकसित करना है। इस योजना के तहत क्लस्टर में 50 एकड़ भूमि में जैविक खेती कराने के लिए 50 या अधिक किसानों को लेना, तीन वर्ष के लिए बीज से लेकर फसल की कटाई, ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा उत्पाद के विपणन तक प्रत्येक किसान 20,000 रूपए प्रति एकड़ सहायता उपलब्ध कराना तथा किसानों के सहयोग से घरेलू उत्पादन एवं जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में वृद्धि करना है।

भूमि संरक्षण

भूमि और जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन, भूमिहीन किसानों के लिए कार्यक्रम एवं उत्पादन प्रणाली, स्प्रिंकलर/ड्रिप इरीगेशन की योजना, पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बाँध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौध रोपण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

कृषि रोड मैप

राज्य में कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 2008 से 2012 तक किया गया। दूसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 2012 से 2017 की अवधि में किया गया। तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तीसरे कृषि रोड मैप में कृषि अंतर्गत फसल एवं बागवानी के साथ–साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सहकारिता, गन्ना उद्योग, भूमि सुधार, भंडारण, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन तथा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। अगले चरण के रोड मैप पर कार्य प्रारंभ है, जिसे इस वर्ष के अंत तक प्रकाशित किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रक्षेत्रों में पानी की पहुँच को बढ़ाना तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना (हर खेत को पानी), प्रक्षेत्रों में जल उपयोग क्षमता में सुधार लाना, सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य पानी की बचत प्रौधोगिकियों का अंगीकरण (मोर क्रॉप पर ड्राप), वाटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग पर वर्षा आधारित क्षेत्रों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करना तथा किसानों और प्रसार कार्यकरताओं के लिए जल संचयन और जल प्रबन्धन से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

भवन निर्माण विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

भू–जल स्तर के संभरण के लिए सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्माण में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर हटाकर दूसरी जगह लगाया जा रहा है।

पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण

भवन निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन भवनों में यथा संभव पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। पारंपरिक ईट भठ्ठों से उत्पादित ईंटों के स्थान पर शत–प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जा रहा है। रिफ्लेक्टिव ग्लास एवं पेंट का प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल तथा मल–जल उपचार संयंत्र इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी

भवन के विद्युत कार्यों में एल.ई.डी. बल्बों का प्रयोग किया जा रहा है। वातानुकूलन में इन्वर्टर टाइप, 4/5 स्टार रेटिंग वाले एयरकंडिशनर का प्रयोग किया जा रहा है। सरकारी अवसंरचनाओं में विद्युत उपकरणों/बल्बों को ससमय बन्द करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भवन निर्माण विभाग के स्तर से सरदार पटेल भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बिहार संग्रहालय, अबुल कलाम साइंस सिटी इत्यादि विभिन्न महत्वपूर्ण भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी भवनों/कार्यालयों के छतों पर सौर उर्जा हेतु सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के तहत *S.T.P* के माध्यम से शुद्ध किये गये जल का प्रयोग बागवानी आदि में किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग

हरित शैक्षणिक विद्यालय निर्माण

बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा विद्यालय भवन के निर्माण के संदर्भ में निर्देश है कि भवन रोशनदान युक्त हो तथा दिन में बिजली की कम से कम आवश्यकता हो। छत पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है।

वर्षा जल संचयन

राज्य के प्राथमिक विद्यालय अन्तर्गत द्वितीय चरण में चिन्हित विद्यालयों में वर्षा जल संचयन व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग 80,000 रूपये मात्र प्रति विद्यालय की दर निर्धारित किया है।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

क्षेत्रीय प्रचार

जल–जीवन–हरियाली अभियान के संदेश को जन–जन तक पहुँचाने एवं इसे जन–जन का अभियान बनाने के लिए सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा होर्डिंग–फ्लैक्स, अखबारों में विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया सहित सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है तथा निरंतर प्रचार–प्रसार कार्य जारी है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसल के अवशेष को जलाने से होने वाले नुकसान तथा इससे बचने के उपाये जैसे अन्य प्रचार–प्रसार शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपर्युक्त कार्य हेतु ग्रीन बजट अंतर्गत 4.11 करोड़ रुपये कर्णांकित किए गये हैं।

लघु जल संसाधन विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

जल–जीवन–हरयाली योजना के अंर्तगत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं तथा 1 एकड़ रकवा से बड़े आहर–पइन एवं पाँच एकड़ रकवा से बड़े पोखरों/जलश्रोतों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराना तथा जीर्णोद्धार करने पर जोर है। छोटी–छोटी नदियों–नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों (वन भूमि छोड़कर) में चेक डैम एवं जल संचयन एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के पठारी क्षेत्रों में अब तक Garland Trenches की 40 योजनायें चिन्हित हुई हैं। 39 योजनाओं का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करा लिया गया है। 16 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी प्राक्कलित राशि 3253.60 लाख है जिसमे से 04 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में चल रही योजनाओं के अवशेष कार्य के अतिरिक्त लगभग 350 आहर–पईन/तालाब/चेक डैम तथा गारलैंड त्रेंचेस की नयी योजनाओं का कार्य कराने का लक्ष्य है।

हर खेत तक सिंचाई का पानी

इस योजना के आर.आर.आर. ऑफ वाटर बॉडीज एवं सतही लघु सिंचाई का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से आहर–पाइन एवं भूजल चेक–डैम/वीयर से संबंधित योजनायें ली जाती हैं। कुल 93 योजनायें जिसकी प्राक्कलित राशि 161.912 करोड़ रूपये है। इसके क्रियान्वयन से 26,090 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। उपरोक्त सभी योजनाओं से सिंचाई पुर्नस्थापन/सृजन के साथ–साथ जल संचयन एवं भूजल पुर्नभरण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। CGWB, भारत सरकार द्वारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट वर्ष 2017 में किया गया, जिसके अनुसार राज्य के 102 प्रखंड अति शोषित, नाजुक एवं माध्यम नाजुक जोन में थे। जल–जीवन–हरयाली अभियान वर्ष 2019 में प्रारम्भ हुआ फलस्वरूप ग्राउण्ड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट वर्ष 2020 के अनुसार राज्य के अति शोषित नाजुक एवं माध्यम नाजुक जोन में थे प्रखंडों की संख्या घटकर 63 हो गयी है।

ग्रामीण कार्य विभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कालीकृत पथों के निर्माण में बिटुमेन के वजन के 6 से 8 प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरा का प्रयोग किया जा रहा है। PMGSY-I एवं PMGSY-II अन्तर्गत कुल 821 पथ (कुल लम्बाई 2741.541 कि0मी0) स्वीकृत है, जिसमें 746 पथों (कुल लम्बाई 2215.527 कि0मी0) पूर्ण कर लिया गया है।

गन्ना उद्योग विभाग

इथेनॉल आधारित विद्युत इकाई पैकेज

राज्य में प्रोत्साहन पैकेज के रूप में नई चीनी मिलों में इथनॉल उत्पादन एवं विद्युत इकाई की स्थापना तथा क्षमता विस्तार के फलस्वरूप अनुदान का भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यूनतम 30 के.एल.पी.डी. की क्षमता की नयी डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 के.एल.पी. डी. से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान या 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी। न्यूनतम 10 मेगावाट की नयी सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अचल पूँजी निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

पर्यटन विभाग

अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति के कार्य हेतु वैशाली शाखा नहर से किया जायेगा। वर्तमान में उक्त सरोवर में गाद भरा हुआ है। इस सरोवर में तकनीकी एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से जलापूर्ति की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना के अन्तर्गत 4,00,00,000 रूपये व्यय होने की संभावना है। इस योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।

जल संसाधन विभाग

गंगा जल आपूर्ति योजना

विभाग द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में पेयजल आपूर्ति हेतु गंगा के जल को लिफ्ट कर जल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत् नए जलश्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति के दृष्टिकोण से गंगा नदी के जल को मॉनसून अवधि में पाईप के माध्यम से स्थानांतरण, संचयन तथा संशोधन का प्रावधान है, जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। हाथीदह में इंटेक वेल–सह–पम्प हाउस, 151 कि०मी० पाईप लाईन, राजगीर एवं तेतर में जलाशय, मोतनाजे में डिटेंशन टैंक–सह–पम्प हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि इस योजना के मुख्य अवयव हैं। जल संसाधन विभाग के इस महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण होने से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ–साथ इस योजना का दूरगामी प्रभाव क्षेत्र के पर्यावरण पर पड़ेगा। इन जिलों में गिरते भू–जल स्तर पुनर्स्थापित हो सकेगा तथा पर्यावरणीय संतुलन स्थापित होने में सहायक होगा। इस योजना का शुभारंम्भ माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिनांक 27–28 नवम्बर, 2022 को किया गया।

गया जी डैम

बिहार राज्य के अंतर्गत फल्गू नदी पर अवस्थित गया शहर का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है। इस योजना में रबर डैम का प्रावधान किया गया है, जो राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है। योजना के तहत् जल संरक्षण के साथ–साथ घाटों का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण संवर्धन को भी सुनिश्चित किया गया है। योजना के विभिन्न अवयवों के रूपांकण एवं आलेख्य का निर्धारण आई०आई०टी०, रूड़की

के तकनीकी विशेषज्ञों की देख–रेख में किया गया है। इस योजना का शुभारंम्भ माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2022 को किया गया।

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से राज्य में कुल सृजित हो सकने वाली क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध मार्च, 2021 तक 37.14 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ था। वर्ष 2021–22 में कुल 7,532 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन की संभावना है। इसके फलस्वरूप मार्च, 2022 तक कुल 37.217 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हो जाएगा। वर्ष 2022–23 में कुल 140 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया गया है। वर्ष 2022–23 में कुल 211 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

हर खेत तक सिंचाई का पानी

राज्य के 7 निश्चय– 2 के अन्तर्गत योजनाओं के चयन हेतु पूरे राज्य में अभियान चलाकर संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया और लगभग 6 माह में कुल 29,952 योजनाओं का चयन किया गया। चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार के पाँच विभागों द्वारा किया जाना है। योजनाओं के कार्यान्वयन पर अनुमानतः 6,504 करोड़ रूपये का व्यय होगा एवं 7 लाख 79 हजार 201 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित हो सकेगा। चयनित योजनाओं में जल संसाधन विभाग के द्वारा वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत 661 अदद् योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है, जिस पर कुल 397.09 करोड रूपये का व्यय अनुमानित है एवं इससे 01 लाख 25 हजार 537 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ उपलब्ध होने की संभावना है। अब तक 427 योजनाओं का डी.पी.आर. प्राप्त किया गया है, जिनमें से 403 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, जिनमें से 9 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

बाढ़ सुरक्षात्मक तथा जल निकासी योजना

वर्ष 2021 के पूर्व 317 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्यों का क्रियान्वयन कर तटबंधों को सुरक्षित रखा गया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 01 अदद् योजनाओं को पूर्ण किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निधि के तहत् 172 अदद् कार्यों को भी पूर्ण किया गया। 2022 के बाढ़ के समय के पूर्व स्वीकृत 334 कार्य के विरूद्ध 314 बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य किये गये।

कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम

इसके तहत् सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्य, प्रक्षेत्र सिंचाई नाली का निर्माण, 150 क्यूसेक तक नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन, कृषकों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण आदि कराए जाते हैं। वर्ष 2021–22 में 3,750 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र सिंचाई नाली का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है। वर्ष 2022–23 में कुल रु० 39.15 करोड़ का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

टाल क्षेत्र विकास योजना

इस योजना के अंतर्गत नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय जिलों में स्थित टाल क्षेत्र के पानी के बेहतर उपयोग और प्रबंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत् 5 एण्टी–फ्लड स्लूईस गेट, उत्तरी और

दक्षिणी छोर पर 2 तटबंधों का निर्माण, और जमींदारी बाँधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इस योजना में टाल क्षेत्र में मौजूदा जलाशयों को गहरा करके मछली और जलीय उत्पादन को विकसित करने और टाल की ओर आने वाली छोटी–छोटी स्थानीय पइनों से जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने की भी परिकल्पना की गई है। इन कार्यों के पूर्ण होने से सतही और भू–जल का सर्वोत्तम आर्थिक उपयोग करते हुए 215 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षमता प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत 127 कि.मी. तटबंध, 3 बराज, 11 बांध, इसके अलावा 56 चैक डैम, 74 पईनों की सफाई एवं 229 बाक्स कलवर्ट का निर्माण किया जाना है।

अभिषेक पुष्कर्णी सरोवर

वैशाली जिले में विश्व शांति स्तूप के पास अभिषेक पुष्कर्णी सरोवर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जहाँ विभाग द्वारा वैशाली शाखा नहर से अभिषेक पुष्कर्णी सरोवर तक प्रेशर पाइप (5.50 कि०मी० लम्बाई में) के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की पहल की है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

मत्स्य पालन योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम वर्षापात एवं पानी की कमी वाले क्षेत्र में यांत्रिक रूप से नियंत्रित "बायोफ्लॉक" एवं "आर0ए0एस0"तकनीक से सघन मत्स्य पालन को बढ़ाना है। पारंपरिक मत्स्य पालन की तुलना में इस तकनीक से कम जगह एवं कम पानी में भी अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त की जा सकती है। इससे जहाँ किसानों के बीच मत्स्य पालन में "तकनीकी–समावेशन" की जागरूकता आएगी वही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजन होने से मत्स्य कृषकों के आमदनी को भी दुगुना करने में सहायक सिद्ध होगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजना के तहत 100 बायोफ्लॉक एवं 38 आर0ए0एस0 इकाईयों का अधिष्ठापन किया जाएगा जिस पर 497.25 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–2025) के तहत् सरकार ने राज्य में स्थित चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर करने का संकल्प लिया गया है। राज्य में उपलब्ध अविकसित एवं अव्यवहृत निजी चौर भूमि को विकसित कर मत्स्य पालन योग्य बनाना। चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ–साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी को अभिसरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी। योजना के कार्यान्वयन से मत्स्य उत्पादन के साथ–साथ भू–जल स्तर में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 600 हे0 चौर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 500 हे0 लाभुक आधारित (325 हे0 अन्य वर्ग, 90 हे0 अति पिछड़ी वर्ग, 80 हे0 अनुसूचित जाति एवं 05 हे0 अनुसूचित जनजाति) तथा 100 हे0 उद्यमी आधारित लाभुक हेतु प्रस्तावित है, जिसका अन्तर श्रेणी परिवर्तन कुल निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

बिहार राज्य जलाशय–मात्स्यिकी नीति, 2022

बिहार विभिन्न प्रकार के जल–संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिसमें तालाब/पोखर, मन, चौर, नदी, जलाशय आदि प्रमुख हैं। बिहार में कुल 37 जलाशय हैं, जो करीब 26,000 हे0 में फैले हुए हैं। राज्य में मत्स्य–प्रभाग के नियंत्रणाधीन करीब 30,000 जलस्रोत (तालाब/पोखर, मन, चौर एवं झील आदि) हैं जिसकी बंदोबस्ती "बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम" के तहत् प्रखंड–स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ की जाती है। राज्य के

कुछ जिलों (बाँका, नवादा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास आदि) में अवस्थित जलाशयों का प्रबंधन जल संसाधन विभाग के अधीन है। उक्त विभाग के द्वारा इन जलाशयों की बंदोबस्ती निजी व्यक्तियों के साथ की जाती रही है, किन्तु उत्पादन/उत्पादकता अत्यंत असंतोषप्रद है। अतः इन जलाशयों के बेहतर प्रबंधन हेतु विशेष नीति की आवश्यकता है। विगत कई दशकों से अन्य जलस्रोतों में राज्य सरकार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन से मात्स्यिकी विकास के फलस्वरूप मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में अभिवृद्धि हुई है परन्तु जलाशय में मात्स्यिकी अधिकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पास नहीं होने के कारण इसका मात्स्यिकी विकास अन्य राज्यों की तरह नहीं हो सका। मात्स्यिकी अधिकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन होने से जलाशय के संपूर्ण जलस्रोत को मत्स्य उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा। मई–2020 में जल–संसाधन विभाग के द्वारा राज्य के जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य–पालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दी गई है। राज्य में मौजूद अधिकांश जलाशय लघु एवं मध्यम आकार के हैं जिनकी मत्स्य उत्पादकता मात्र 4.92 कि0ग्रा0/हे0/वर्ष है। देश के लघु एवं मध्यम जलाशयों की उत्पादकता करीब 50 कि0ग्रा0/हे0/वर्ष है जबकि इन जलाशयों की उत्पादन क्षमता 250 कि0ग्रा0/हे0/वर्ष की है। ऐसी स्थिति में राज्य के जलाशयों के समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु ''नीति'' की आवश्यकता के मद्देनजर ''बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति'' का प्रस्ताव है ताकि जलाशय मात्स्यिकी का वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा समुचित विकास हो सके।

ऊर्जा विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

इस अभियान के तहत् राज्य में सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन, राज्य में सोलर हाईमास्ट एवं सोलर स्ट्रीट लाईट का शहरी एवं ग्रामीण ईलाकों में अधिष्ठापन, ऑफग्रिड रूफटॉप सोलर पावर लान्ट को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट में परिवर्तित सहित मरम्मति एवं रख रखाव राज्य में केनाल टॉप एवं केनाल बैंक के तहत् सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन राज्य के सुपौल जिले में क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन, राज्य में सरकारी तालाबों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु तालाबों/जलाशयों के सर्वे, सांभाव्यता अध्ययन आदि का कार्य तथा प्लान्ट का अधिष्ठापन का कार्यान्वयन।

सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन

वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिहार राज्य में 109 अदद् सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सोलर हाई–मास्ट लाईट का अधिष्ठापन राज्य योजना मद से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर राज्यांश मद से 0.999 करोड़ रूपये व्यय किया जायेगा।

केनाल टॉप एवं केनाल बैंक सोलर पावर प्लांट

वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिहार राज्य में 6 मेगावाट का केनाल टॉप एवं केनाल बैंक के तहत् सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन राज्य योजना मद से कार्यान्वयन किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर राज्यांश मद से 43.82 करोड़ रूपये व्यय किया जायेगा।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम

बिहार सरकार ने उन परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया है जिनमें या तो 50 प्रतिशत या अधिक काम पूरा

हो गया है या उत्पादन की लागत 5.00 रुपये प्रति यूनिट से कम है। अपूर्ण/निर्माणाधीन परियोजनाओं की 12 संख्या इस श्रेणी में आती है, जिनमें से 11 संख्या लघु जलविद्युत परियोजनाएँ हैं और 1 डेहरी (4x1.65 मेगावाट) एस.एच.पी. के लिए पलायन व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018–19 तक बीएसएचपीसी को कार्य के निष्पादन के लिए 90.00 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2019–20 में 12.54 करोड़ रुपये जारी किए गए, अब वित्त वर्ष 2022–23 में 51.23 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसी के तहत मांग की गई है।

सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली और कोसी नहर प्रणाली पर 13 (तेरह) जलविद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। नई संचालन एवं अनुरक्षण नीति के तहत एजेंसी को गंडक नहर प्रणाली एवं कोसी कॉज सिस्टम पर स्थापित 3 (तीन) एचईपी के जीर्णोद्धार, संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपा गया है। 2022–2023 के दौरान इन परियोजनाओं से उत्पादन बढ़ाने के लिए डेहरी और बरुण की सभी इकाइयों का जीर्णोद्धार न्यूनतम खर्च पर किया जाना है। डेहरी, बरुण, वाल्मीकिनगर और बीरपुर में निरीक्षण बंगलों के नवीनीकरण सहित डेहरी, बरुण, वाल्मीकिनगर और नसारीगंज कॉलोनियों के सभी तेरह बिजली घरों, और आवासीय भवनों की चारदीवारी की मरम्मत। तदनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 5.00 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

नीचे मछली ऊपर बिजली

इस योजना का उद्देश्य जलाशय के क्षेत्रों को उपयोग में लाने के साथ–साथ सरकारी खर्च, समय और भू–क्षेत्र की कमी/भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं की असुविधा से बचा जा सकता है। इस योजना के उपयोग से पारंपरिक उर्जा की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम होता है। उक्त जलाशय में मछली पालन के साथ–साथ बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है, जिससे किसानों को समृद्धि के साथ–साथ रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट

बिजली उत्पादन को स्थानीय जल निकायों का उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार ने दरभंगा जिले में 2 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा इकाई शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत साल में लगभग 2.7 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सकेगी तथा यह 64,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए पर्याप्त है। एक मेगावाट बिजली उत्पादन होने में 3.5 एकड़ भूमि की बचत होगी।

ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट

जल–जीवन–हरियाली अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजना मद से बिहार राज्य में 60 मेगावाट क्षमता के राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन की योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। इस योजना पर राज्यांश मद से 279.64 करोड़ रूपये, व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) से संबंधित कार्यों में योगदान पर्यावरण और हरित बजट

का हिस्सा है। ये घटक जल–जीवन–हरियाली पहल का भी हिस्सा हैं। निम्नलिखित कार्य पर्यावरण स्वास्थ्य से संबंधित हैं– 1. जल संरक्षण कार्य, जल प्रबंधन कार्य, सिंचाई कार्य, आहर और पइन जैसे पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, वनरोपण (वृक्षारोपण कार्य एवं नर्सरी विकास) एवं भूमि विकास कार्य, 2. भूमि की उत्पादकता में सुधार और बुनियादी ढांचे के माध्यम से आजीविका में सुधार वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप टैंक, एजोला टैंक आदि जैसे का विकास साथ ही बंजर भूमि, मत्स्य पालन और पशुधन को बढ़ावा देना। पिछले दो वर्षों के दौरान मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य बड़ी संख्या में किया गया है। वित्त वर्ष 2020–21 में मनरेगा के तहत 1.13 करोड़ पौधे लगाए गए, इसके बाद 1.52 करोड़ वित्त वर्ष 2021–22 में मनरेगा के जरिए 2.65 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1.61 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, 3. दीदी की नर्सरी स्थानीय किस्मों के गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति के लिए पहल में से एक है। जीविका सदस्यों द्वारा पौधे नर्सरी में उगाए जाते हैं। अब तक 167 नर्सरी सक्रिय हैं, जिनमें 20.97 लाख पौधे उगाए जा रहे हैं।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ॥

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के चरण–॥ में विशिष्ट रूप से इसका लाभ उठाने के लिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि ग्रामीण बिहार में व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता का लाभ उठाकर एक जन आंदोलन बनाया जा सके जिससे ओडीएफ स्थिरता सुनिश्चित रहे, लोग सुरक्षित स्वच्छ व्यवहार का अभ्यास करना जारी रखे और सभी गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो। 36 ग्राम पंचायत में पायलट एसएलडब्ल्यूएम परियोजना के आधार पर, अब 1672 ग्राम में पंचायत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यान्वयन शुरू किया गया है। स्वच्छ गांव–समृद्ध गांव निश्चय के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण के तहत वित्त वर्ष 2022–23 में निम्न लक्ष्य निर्धारित किया गया हैः नए और प्रवासी परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करना, 9.84 लाख आईएचएचएल का निर्माण प्रस्तावित है, 5300 से अधिक गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण जारी है, सॉलिड और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के क्रियान्वयन के लिए 2400 से अधिक ग्राम पंचायतों की योजना है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन – ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए, प्रदेश के चयनित प्रखंडों में 220 से अधिक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी, गोबर–धन योजना के तहत 15 जिलों समुदाय या क्लस्टर स्तर पर बायो–गैस इकाई शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे गांव, गौशाला, डेयरी आदि में उत्पन्न कृषि और पशु के जैव कचरा प्रबंधन में मदद मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में मल कीचड़ का समाधान और सुरक्षित निपटान के लिए मल कीचड़ प्रबंधन इकाई को 15 से अधिक जिलों में शुरू किया जाना है।

उद्योग विभाग

इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति

बिहार राज्य इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकूल नियामक एवं संस्थागत पर्यावरणीय राज्य में 17 इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है, जो हर साल कम से कम 35.2 करोड़ लीटर ईंधन उत्पादन क्षमता का होगा। ये इकाईयाँ गन्ने, गुड़, मक्का और चावल का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए करेंगी और इसे तेल कंपनियों को पेट्रोल और बाद में डीजल में सम्मिश्रण के लिए आपूर्ति करेंगी। इसके तहत मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन पर जोर दिया जायेगा। इसके लिए सरकारी एवं अन्य संस्थानों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि जैव ऊर्जा प्रक्षेत्र में प्रचुर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट प्लांट की स्थापना की जायगी। इससे नदियों का पानी औद्योगिक प्रांगण/क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी से प्रदूषित होने से बचेगा। माननीय एन.जी.टी. न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 10 सी.ई.टी.पी. का निर्माण फतुहा (जिला–पटना), हाजीपुर (जिला–वैशाली), बेला (मुजफ्फरपुर), बरारी (जिला–भागलपुर), पाटलीपुत्रा (जिला–पटना), ग्रोथ सेंटर (जिला–औरंगाबाद), ग्रोथ सेंटर, गिधा औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदरपुर, बिहटा, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा में किया जाना है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

विभाग द्वारा ''हर घर नल का जल'' योजना के प्रारंभिक चरणों से ही ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है जो यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल हों। इसके साथ–साथ योजना स्थल के आस–पास वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ''जल–जीवन–हरियाली'' योजना के अंतर्गत पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक कुओं और सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है।

पथ निर्माण विभाग

सड़क निर्माण क्षेत्र में सड़कों के एलाइन्मेंट को इस तरह से अंतिम रूप दिया जाता है कि पेड़ नहीं कटें या कम से कम पेड़ कटें। पेड़ काटने की स्थिति में नियमानुसार स्वीकृति ली जाती है एवं एक पेड़ के बदले दो पेड़ क्षतिपूरक वनारोपण अंतर्गत लगाए जाते हैं। प्रस्तावित मार्ग से अलग हटकर पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है। पेड़ बचाने हेतु डिजाईन में छोटे–मोटे बदलाव भी इस प्रकार से किए जाते हैं कि पर्यावरण संबंधी सौंदर्य पुनः स्थापित हो सके। परियोजना के दौरान जहां कृषि क्षेत्रों और किसी अन्य उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी की उपरी परत को हटाना हो, वहां 150 मि.मी. गहराई तक की मिट्टी को हटाकर 2 मीटर की अधिसीमा अंतर्गत ढेरों के रूप में जमा किया जाता है। इस उपरी परत को जमा करने हेतु अधिग्रहित क्षेत्र अथवा सड़क के एक हिस्से को चिन्हित् किया जाता है। इस मिट्टी का इस्तेमाल अधिग्रहित क्षेत्र अंतर्गत गड्ढों को भरने, अधिग्रहित अस्थायी भूमि को भरने, किसानों के खेतों में कटी मिट्टी से उत्पन्न गड्ढे को भरने में किया जाता है। पहले से मौजूद जल स्रोतों/जल प्रवाहों को मूल स्थिति अथवा उससे बेहतर स्थिति में पुनःस्थापित किया जाता है। सड़क निर्माण क्षेत्र में धूल नहीं उड़ने देन के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। क्रशर इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में धूल उड़ने से रोकने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है।

तालिका 10–विभागवार चिह्नित योजनाओं/कार्यक्रमों का हरित बजट विवरण

श्रेणी 'A' - हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
1	19–2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	*200.00*	*200.00*	*895.00*			परंपरागत वन भूमि मृदा–जल संरक्षण, अवकृष्ट वनों के पुनर्वास तथा पूर्व में किए गए पुनर्वास के कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 73.84 लाख पौधे लगाए गए। वित्तीय वर्ष 2022–23 में वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक वनों के विकास के लिए 60 लाख पौधे लगाने हेतु अग्रिम कार्य किया जाएगा जिसमें पौधारोपण वित्तीय वर्ष 2023–24 में होगा। इसके अतिरिक्त 3000 हेक्टेयर में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किया जाएगा।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	19–2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	*2207.80*	*2207.80*	*4500.00*	*1200.00*	*1200.00*				
3	19–2406017960103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	*448.86*	*448.86*	*605.00*						
4	19–2406011010112 प्राकृतिक वनों का विकास				*2182.00*	*2182.00*				
5	19–2406017890105 प्राकृतिक वनों का विकास				*1800.00*	*1800.00*				
6	19–2406017960135 प्राकृतिक वनों का विकास				*518.00*	*518.00*				
7	19–2406018000101 नहर तट फार्म	*45.10*	*45.10*	*2261.00*			राज्य के नहर/नदी तटबंधों के किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा तथा विगत वर्ष में किए गए वृक्षारोपण कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा तथा पौधशाला की स्थापना की जाएगी। 285.5 कि0मी0 में 3.56 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
8	19–2406017890102 नहर तट फार्म	*273.99*	*273.99*	*1174.00*	*650.00*	*650.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
9	19–2406018000105 पथ तट फार्म	*5163.91*	*5163.91*	*4385.00*			राज्य के पथ तटों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। शहरी वानिकी, आगम–निर्गम पथ के अंतर्गत जिला/ अनुमंडल/ प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा पौधशाला स्थापित करना तथा उनके द्वारा रैयति भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्क का विकास किया जाएगा। पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा। पौधशाला में पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संपोषण किया जाएगा।	प्राकृतिक संसाधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जैव विविधता पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 11 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
10	19–2406017890103 पथ तट फार्म	*3274.86*	*3274.86*	*4000.00*	*853.00*	*853.00*				
11	19–2406011020109 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी				*4593.00*	*4593.00*				
12	19–2406017890106 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी				*1800.00*	*1800.00*				
13	19–2406011010111 जल जीवन हरियाली	*2898.18*	*2898.18*	*17000.00*	*8000.00*	*8000.00*	इसके तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2021–22 में 3.89 करोड़ पौधे लगाए गये।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 11 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
14	19–2406021120101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास				*8012.30*	*8012.30*	इको पर्यटन एवं पार्क का विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिलों में नगर एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्थानान्तरित 133 पार्कों का विकास एवं रख रखाव तथा पटना अवस्थित पार्कों का विकास एवं रख रखाव का कार्य प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत पटना जिले में 103 पार्क का रख रखाव प्रस्तावित है।	प्रदूषण न्यूनीकरण अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 11 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
15	19–2406027890102 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास				*1982.00*	*1982.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
16	19–2406011050104 प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्			*2000.00*	*1200.00*	*1200.00*	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक पर्षद् के लिए अनुदान की राशि से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्य किये जाएंगे, जो जलवायु परिवर्त्तन के प्रभावों को कम करेंगे। प्रदूषण पर्षद् को कुल 12 करोड़ रूपये मात्र अनुदान देने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत कुल 38 अनवरत परिवेशिय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं रख रखाव, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का पर्यावरण औडिट कार्य तथा बिहार स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के तृतीय पथ से पर्यावरणीय परफॉरमेंस की जांच कार्य किया जाएगा।	प्रदूषण न्यूनीकरण अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 11 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन विनियमन एव प्रवर्तन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
17	19–4406010700102 भवन निर्माण	*4450.15*	*4450.15*	*8000.00*	*3500.00*	*3500.00*	राजगीर में जू–सफारी का निर्माण। इस सफारी क्षेत्र में वन्य जीवों को प्राकृतिक अधिवास उपलब्ध कराया जाएगा। वन्य प्राणियों के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार का काम किया जाएगा।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता निवेश प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
18	19–4406010700101 सड़क और पुल	*165.00*	*165.00*	*200.00*	*500.00*	*500.00*	राज्य के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वन पथों का मरम्मती कार्य किया जाएगा जो वन क्षेत्रों में गश्ती में सहायक होगा तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करेगा।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
19	19–2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	*246.30*	*246.30*	*300.00*	*700.00*	*700.00*	राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्य।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता
20	19–2406011050105 प्लांट टिशू कल्चर लैब			*200.00*	*200.00*	*200.00*	उत्तम गुणवत्ता के पौधे तैयार करना।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 2 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता अनुसंधान एव विकास

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
21	19–2406021100324 बाघ परियोजना	*595.97*	*595.97*	*638.60*	*604.70*	*604.70*	राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष टाईगर रिजर्व के रूप में घोषित है। इसके अन्तर्गत वाल्मिकी नेशनल उद्यान एवं वाल्मिकी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष वन क्षेत्र का विस्तार 901.07 वर्ग किलोमीटर में हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में कैमर ट्रैप विधि से कराये गये बाघों की संख्या 26 से 37 के बीच पायी गयी है। आरक्ष क्षेत्र में तेन्दुओं की संख्या 90 से 106 तक पायी गयी है। वर्ष 2020–21 में कराये गये गणना प्रतिवेदन एवं कैमरा ट्रैप के फोटो भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को भेजा गया है। प्राप्त आंकड़ों में आरक्ष क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि का अनुमान है।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता निवेश अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
22	19–2406021100326 गज परियोजना	*0.98*	*0.98*	*50.00*	*63.03*	*63.03*	बिहार राज्य में सीमावर्ती राज्यों से भटके हुए जंगली हाथियों से सुरक्षा, संरक्षण एवं नियंत्रण, न्यूनीकरण इत्यादि हेतु गज परियोजना अन्तर्गत वार्षिक कार्य–योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष अन्तर्गत हाथी पुनर्वास केन्द्र का प्रबंधन, एन्टी–पोचिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, क्षमतावर्द्धन, जनजाति उप–योजना और झारखण्ड एवं नेपाल से भटककर आये हुए जंगली हाथियों से सपौल, अररिया, बांका एवं गया जिले में मानव–हाथी द्वंद के नियंत्रण इत्यादि विभिन्न संगत कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
23	19–2406021100323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावरण विकास	*193.84*	*193.84*	*455.30*	*591.80*	*591.80*	इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तीन अवयव हैं:– 1. आश्रयणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन 2. आश्रयणी के बाह्य क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन 3. संकटापन्न वन्यजीवों/जलीय जीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
24	19–2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना			*50.77*	*49.50*	*49.50*	इस योजनांतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।		एसडीजी 14	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
25	19–2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	*47.02*	*47.02*	*201.33*	*200.00*	*200.00*	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढॉचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
26	19–2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन	*98.15*	*98.15*	*57.00*	*35.00*	*35.00*	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
27	19–2406047890301 राष्ट्रीय बांस मिशन	*13.34*	*13.34*	*40.00*	*25.00*	*25.00*				
28	19–2406047960301 राष्ट्रीय बांस मिशन	*4.04*	*4.04*	*25.00*	*15.00*	*15.00*				
29	19–2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम			*237.00*	*170.97*	*170.97*	राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्थानीय समुदायों की आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 8 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
30	19–2406021100224 बाघ परियोजना	*626.23*	*626.23*	*2247.85*	*1751.00*	*1751.00*	राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष टाईगर रिजर्व के रूप में घोषित है। इसके अन्तर्गत वाल्मिकी नेशनल उद्यान एवं वाल्मिकी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष वन क्षेत्र का विस्तार 901.07 वर्ग किलोमीटर में हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में कैमर ट्रैप विधि से कराये गए बाघों की संख्या–26 से 37 के बीच पायी गयी है। आरक्ष क्षेत्र में तेन्दुओं की संख्या–90 से 106 तक पायी गयी है। वर्ष 2020–21 में कराये गए गणना प्रतिवेदन एवं कैमरा ट्रैप के फोटो भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को भेजा गया है। प्राप्त आंकड़ों में आरक्ष क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि का अनुमान है।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता निवेश अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
31	19–2406021100226 गज परियोजना	*1.48*	*1.48*	*176.38*	*516.65*	*516.65*	बिहार राज्य में सीमावर्ती राज्यों से भटके हुए जंगली हाथियों से सुरक्षा, संरक्षण एवं नियंत्रण, न्यूनीकरण इत्यादि हेतु गज परियोजना अन्तर्गत वार्षिक कार्य–योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष अन्तर्गत हाथी पुनर्वास केन्द्र का प्रबंधन, एन्टी–पोचिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, क्षमतावर्द्धन, जनजाति उप–योजना और झारखण्ड एवं नेपाल से भटककर आये हुए जंगली हाथियों से सुपौल, अररिया, बांका एवं गया जिले में मानव–हाथी द्वंद के नियंत्रण इत्यादि विभिन्न संगत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
32	19–2406021100223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास मिशन	*292.53*	*292.53*	*1606.09*	*1309.40*	*1309.40*	इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तीन अवयव हैं:– 1. आश्रयणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन 2. आश्रयणियों के बाह्य क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन 3. संकटापन्न वन्यजीवों/जलीय जीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
33	19–2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना			*179.09*	*496.00*	*496.00*	इस योजनांतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 14	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
34	19–2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	*70.53*	*70.53*	*710.20*	*721.75*	*721.75*	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढॉचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
35	19–2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन	*148.83*	*148.83*	*172.86*	*474.00*	*474.00*	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
36	19–2406047890201 राष्ट्रीय बांस मिशन	*26.00*	*26.00*	*150.00*	*459.00*	*459.00*				
37	19–2406047960201 राष्ट्रीय बांस मिशन	*6.10*	*6.10*	*107.50*	*444.00*	*444.00*				
38	19–2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम			*836.03*	*678.20*	*678.20*	राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एंव स्थानीय समुदायों की आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 8 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
39	19–2406010010001 निदेशन और प्रशासन				*2154.03*	*2154.03*	मुख्यालय सहित 15 कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है इसके अलावा कार्यालय व्यय, वाहन का इंधन एवं रख रखाव, दूरभाष, विद्युत, अनुरक्षण इत्यादि पर व्यय किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन
40	19–2406010030001 प्रशिक्षण, जनसम्पर्क एवं शोध हेतु				*593.31*	*593.31*	इस उपशीर्ष से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है एवं राज्य वन प्रशिक्षण केन्द्र, गया में वनरक्षी, वनपाल के प्रशिक्षण कार्य पर व्यय किया जाता है तथा 2 कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेनतादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।		एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
41	19–2406010700001 सडक एवं पुल				*400.00*	*400.00*	2030 कि.मी. वन पथ का रख–रखाव पर व्यय किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
42	19–2406010700002 भवननिर्माण				*420.00*	*420.00*	786 विभागीय भवन का रख–रखाव पर व्यय किया जाता है।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन	एसडीजी 9	कार्यक्रम कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
43	19–2406011010001 वनों का विस्तार उन्नति एवं सुरक्षा				*12370.16*	*12370.16*	इस उपशीर्ष में बिहार से 27 वन प्रमण्डलों के स्थायी पौधशाला एवं उसके रख रखाव पर व्यय तथा कार्यालयों के स्थायी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संवदिा पर नियोजित कर्मी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कार्यालय व्यय, वाहन का इंधन एवं रख रखाव, दूरभाष, विद्यंत अनुरक्षण इत्यादि पर व्यय किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 8 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
44	19–2406011010002 वर्किंग प्लान प्रमण्डल				*134.32*	*134.32*	इस उपशीर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्रत्येक वन प्रमण्डल हेतु दस वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने संबंधित कार्यों पर व्यय किया जाता है एवं स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।		एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन
45	19–2406021100003 अभयारण्य				*760.79*	*760.79*	वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल–1 एवं 2 के बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्य एवं कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।		एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
46	19–2406021110001 अन्य उद्यान				*1793.40*	*1793.40*	संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के 153 एकड़ में फैले उद्यान में केला, मैंगो, गुलाव, औषधी, फर्न गार्डन, ऑर्किड घर, रोड के किनारे हेज तथा दो बड़े दूब घास गार्डन का रख रखाव किया जाता है। साथ ही टिकट खिड़की, ट्रेन परिचालन, ट्रेन ट्रैक, शिशु उद्यान, मछली घर, जल उद्यान के रख रखाव के साथ उद्यान में घास की कटाई एवं साफ–सफाई का कार्य किया जाता है। उद्यान में अवस्थित 45 केजों में 600 जानवरों का आहार, चारा पहुंचाना एवं केज की सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। उद्यान के सौन्दर्यीकरण हेतु मौसमी एवं वार्षिक फलों के पौधों का रोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजगीर जू सफारी में भी जंगली जानवर सिंह आदि आ गये हैं जिसकी सुरक्षा का कार्य किया जाता है।		एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
47	19–3435041030001 बिहार राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकरण				*75.00*	*75.00*	इस उपशीर्ष से बिहार राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भूगतान, पर्यावरणीय मंजुरी, अन्य परियोजनाओं जैसे– भवन निर्माण, माईनिंग कार्य हेतु।		एसडीजी 8 एसडीजी 9 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
48	19–3435031020001 बिहार राज्य जैव विविधिता पर्षद्				*456.75*	*456.75*	इस उपशीर्ष में *Biodiversity Act* के तहत गठित जैव विविधता प्रबंधन समितिया *(Biodiversity Management Commettee)* एवं जैव विविधिता पंजी *(Public Biodiversity Register)* का निर्माण कराना है एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि का भुगतान किया जाता है।		एसडीजी 8 एसडीजी 15	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
	योगफल	**21499.19**	**21499.19**	**53461.00**	**65453.06**	**65453.06**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
उद्योग विभाग										
1	23–2852801020110 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार			*1000.00*	*1.00*		माननीय ए.टी.जी. न्यायालय में दायर वाद के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में कॉमन इफ्लूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट (सी0ई0पी0टी0) की स्थापना का निर्माण किया जाना है। सी0ई0टी0पी0 निर्माण का कार्य नोडल एजेंसी बियाडा के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस मद में बजटीय प्रावधान शून्य है। बियाडा के द्वारा कलस्टर विकास निधि अन्तर्गत सीडबी से प्राप्त होने वाले ऋण के कॉमन इफ्लूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी	एसडीजी 6 एसडीजी 9 एसडीजी 12	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना निवेश प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
	योगफल			**1000.00**	**1.00**					
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग										
1	36–4215011020103 जलापूर्त्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिवयय	*2309.72*	*2309.72*	*1654.00*	*2075.00*	*2075.00*	कुँओं का जिर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य	हरित संरचना	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	36–4215017890111 जलापूर्त्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिवयय	*1028.88*	*1028.88*	*818.00*	*400.00*	*400.00*				
3	36–4215017960107 जलापूर्त्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिवयय	*62.73*	*62.73*	*28.00*	*25.00*	*25.00*				
	योगफल	**3401.33**	**3401.33**	**2500.00**	**2500.00**	**2500.00**				
ऊर्जा विभाग										
1	10–6801002010101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम (पनबिजली उत्पादन)	*579.00*		*2000.00*	*1000.00*	*1000.00*	जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनो के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन, राज्य में सोलर हाईमास्ट एवं सोलर स्ट्रीट लाईट का शहरी एवं ग्रामीण ईलाकों में अधिष्ठापन, ऑफग्रिड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 7 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान निवेश अनुसंधान एवं विकासछ60 प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
	ऊर्जा विभाग									
							पावर प्लांट में परिवर्तित सहित मरम्मति एवं रख–रखाव, राज्य में कैनाल टॉप एवं केनाल बैंक के तहत सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन, राज्य के सुपौल जिले में क्षमता के फ्लोटिग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन, राज्य में सरकारी तलाबों/जलाशयों पर फ्लोंटिग सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु तलाबों/जलाशयों के सर्वे, सांभाव्यता अध्ययन आदि का कार्य तथा प्लांट का अधिष्ठापन का कार्यान्वयन। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, अक्षय ऊर्जा दायित्व की पूर्ति कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी।			
2	10–2810606000101 अपरंपरागत उर्जा श्रोत	*1250.00*	*1250.00*	*5000.00*			जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनो के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन, राज्य में सोलर हाईमास्ट एवं सोलर स्ट्रीट लाईट का शहरी एवं ग्रामीण ईलाकों में अधि्ष्ठापन, ऑफग्रिड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट में परिवर्तित सहित मरम्मति एवं रख–रखाव, राज्य में कैनाल टॉप एवं केनाल बैंक के तहत सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन, राज्य के सुपौल जिले में क्षमता के फ्लोटिग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन, राज्य में सरकारी तलाबों/जलाशयों पर फ्लोंटिग सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु तलाबों/जलाशयों के सर्वे, सांभाव्यता अध्ययन आदि का कार्य तथा प्लांट का अधिष्ठापन का कार्यान्वयन। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, अक्षय ऊर्जा दायित्व की पूर्ति कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 7 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान निवेश प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
3	10–2810001040101 अपरंपरागत उर्जा श्रोत				*5000.00*	*5000.00*				
	योगफल	**1829.00**	**1250.00**	**7000.00**	**6000.00**	**6000.00**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
स्वास्थ्य विभाग										
1	20–4210011100118 जल–जीवन–हरियाली	*71.57*	*71.57*	*500.00*	*500.00*	*500.00*	वर्षा जल संचयन	हरित संरचना	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन
योगफल		**71.57**	**71.57**	**500.00**	**500.00**	**500.00**				
ग्रामीण विकास विभाग										
1	42–2215021050103 लोहिया स्वच्छता योजना–1				*1.00*	*1.00*	सक्षम बिहार एवं स्वालंबी बिहार अन्तर्गत 7 निश्चय 2 में लक्षित स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से समुदायों का व्यवहार परिवर्तन एवं नये परिवारों/छूटे हुए परिवारों को व्यक्तिगत शौचलायों की सुलभता तथा चरणबद्ध तरीकों से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा राज्य के सभी गांवों को ODF+ बनाया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	42–2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना–2				*4700.00*	*4700.00*				
3	42–2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)				*63200.00*	*63200.00*				
4	42–2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)				*11850.00*	*11850.00*				
5	42.221507890204 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)				*16000.00*	*16000.00*				
6	42–221507890304 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	*11363.33*			*3000.00*	*3000.00*	जल–जीवन–हरियाली अभियान के कियान्वयन के लिए अनुश्रवण हेतु जल–जीवन–हरियाली मिशन का गठन किया गया है।			
7	42–221507960206 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	*85.85*			*800.00*	*800.00*				
8	42–221507960306 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	*1136.33*			*150.00*	*150.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
ग्रामीण विकास विभाग										
9	42–2515000010110 जल जीवन हरियाली मिशन	*705.76*	*705.76*	*878.00*	*1069.00*	*1069.00*	जल–जीवन–हरियाली अभियान के कियान्वयन के लिए अनुश्रवण हेतु जल–जीवन–हरियाली मिशन का गठन किया गया है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 6 एसडीजी 13 एसडीजी 15	शिक्षा एव जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
10	42–2220601010101 जल जीवन हरियाली जागरूकता	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	इसके अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान से लोगों को जागरूक करना है ।		एसडीजी 6 एसडीजी 13 एसडीजी 15	शिक्षा एव जागरूकता
	योगफल	**13391.27**	**805.76**	**978.00**	**100870.00**	**100870.00**				
परिवहन विभाग										
1	47–3055001900104 बिहार स्वच्छ ईधन योजना	*30.80*	*30.80*	*500.00*	*1500.00*	*1500.00*	पटना में डीजल चालित तिपहिया वाहनो का CNG चालित अथवा बैटरी चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापन पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन एवं पेट्रोल चालित टैक्सी कैब को CNG में Conversion पटना शहरी क्षेत्र में पुराने व्यवसायिक डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिये वाहनो से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने हेतु CNG में Conversion योजना लागू की गई है।	हरित संरचना जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 11 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान निवेश अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	47–3055001990101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	*4746.74*	*4746.74*	*6500.00*			*MMGPY* के अन्तर्गत सभी प्रखंडों में परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु वाहनों के खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी में अन्य वाहनों के अलावे बैट्री चालित, ई0रिक्शा के क्रय पर भी अनुदान दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।		एसडीजी 11 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना प्रशिक्षण और
3	47–3055007890101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	*5930.57*	*5930.57*	*8500.00*						
4	47–3055007960101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	*394.32*	*394.32*	*500.00*						
	योगफल	**11102.43**	**11102.43**	**16000.00**	**1500.00**	**1500.00**				

वित्तीय वर्ष 2022–23											(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
लघु जल संसाधन विभाग										
1	50–4702001010106 हर खेत तक सिंचाई का पानी			*8300.00*	*8300.00*	*8300.00*	सात निश्चय–2 के तहत हर खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।	हरित संरचना एवं जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान निवेश प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	50–4702007890106 हर खेत तक सिंचाई का पानी			*1600.00*	*1600.00*	*1600.00*				
3	50–4702007960107 हर खेत तक सिंचाई का पानी			*100.00*	*100.00*	*100.00*				
4	50–4702001020102 सतही जल योजना	*3651.45*	*3651.45*	*830.00*	*1660.00*	*1660.00*	सतही योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं आहर/पइन/ तालाब बांध के पुनरुद्धार पर राशि व्यय की जानी है।		एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
5	50–4702007890104 सतही जल योजना	*556.87*	*556.87*	*160.00*	*320.00*	*320.00*				
6	50–4702007960105 सतही जल योजना	*24.15*	*24.15*	*10.00*	*20.00*	*20.00*				
7	50–4702001020107 जल जीवन हरियाली(नाबर्ड)	*17755.96*	*17755.96*	*40670.00*	*31540.00*	*31540.00*	आहर/पइन एवं बांध का पुनरुद्धार किया जाना है।		एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
8	50–4702007890105 जल जीवन हरियाली(नाबर्ड)	*2898.76*	*2898.76*	*7840.00*	*6080.00*	*6080.00*				
9	50–4702007960106 जल जीवन हरियाली(नाबर्ड)	*123.18*	*123.18*	*490.00*	*380.00*	*380.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
लघु जल संसाधन विभाग										
10	50–4702001010205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	*467.07*	*467.07*	*4980.00*	*20750.00*	*20750.00*	आहर/पइन एवं बांध का पुनरुद्धार किया जाना है।	हरित संरचना एवं जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
11	50–4702007890205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	*87.80*	*87.80*	*960.00*	*4000.00*	*4000.00*				
12	50–4702007960206 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	*5.09*	*5.09*	*60.00*	*250.00*	*250.00*				
13	50–4702001010305 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	*186.58*	*186.58*	*1660.00*	*1660.00*	*1660.00*				
14	50–4702007890305 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	*54.81*	*54.81*	*320.00*	*320.00*	*320.00*				
15	50–4702007960306 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	*3.39*	*3.39*	*20.00*	*20.00*	*20.00*				
	योगफल	**25815.11**	**25815.11**	**68000.00**	**77000.00**	**77000.00**				
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48–2217030510201 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना *(SBM)*			*19010.00*	*19010.00*	*19010.00*	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ है। इससे पर्यावरण को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाने में सफलता मिलेगी।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	48–2217030510301 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना *(SBM)*			*10000.00*	*10000.00*	*10000.00*				
3	48–2215021050101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन,सात निश्चय–2				*24800.00*	*24800.00*	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का अलग–अलग वैज्ञानिक तरीके से निश्तारण किया जायेगा, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करेगा।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
4	48–2215027890104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन,सात निश्चय–2				*100.00*	*100.00*				
5	48–2215027960106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन,सात निश्चय–2				*100.00*	*100.00*				
	योगफल			**29010.00**	**54010.00**	**54010.00**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
भवन निर्माण विभाग										
1	03–2059800530013 आवासीय/गैर–आवासीय उद्यानों/पार्को का रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार	*222.12*	*15.54*	*1000.00*	*1000.00*	*1000.00*	वन प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक भवनों का निर्माण।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	03–4406010510101 भवन निर्माण	*795.06*	*795.06*	*7000.00*			पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत भवनों का निर्माण	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 15	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
3	03–4406010510101 वाणिकी महाविद्यालय				*2434.70*	*2434.70*		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 15	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
4	03–4406010510102 डॉल्फिन रिसर्च सेंटर				*3052.00*	*3052.00*				
	योगफल	**1017.18**	**810.60**	**8000.00**	**6486.70**	**6486.70**				
कृषि विभाग										
1	01–2401001090122 फसल कृषि कर्म			*4150.00*	*8300.00*	*8300.00*	सात निश्चय–2 के तहत हर खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।	हरित अधिसंरचना एवं जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान निवेश प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	01–2401007890152 फसल कृषि कर्म			*800.00*	*1600.00*	*1600.00*				
3	01–2401007960174 फसल कृषि कर्म			*50.00*	*100.00*	*100.00*				
	योगफल			**5000.00**	**10000.00**	**10000.00**				
पशु एवं मत्स्य संसाधन										
1	02–2405001010104 तालाब मत्स्य पालन का विकास एवं जीर्णोद्धार	*2373.92*	*2373.92*	*10006.52*			मत्स्य विकास योजनाएं–नया तालाब निर्माण, हैचरी, बायोफ्लॉक, चौर विकास, इनपुट, उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन, मुर्गी–सह–मछली पालन के माध्यम से भू–जल स्तर में वृद्धि जल संरक्षण जल संसाधनों का परंपरागत उपयोग पारिस्थितकी संतुलन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एवं जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 14	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पशु एवं मत्स्य संसाधन										
2	02–2405001090102 मत्स्य प्रसार	*567.17*	*567.17*	*1640.08*			मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण तथा सेमिनार कार्यशाला आयोजित किया जाना है, जिसके माध्यम से मत्स्य कृषकों में पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा की जानी है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 14	शिक्षा एव जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
3	02–2405001010219 नीलि क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	*1044.52*	*1044.52*	*4800.00*			रियरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट, झींगा एवं मांगुर हैचरी, रोग निदान प्रयोगशाला का निर्माण आदि कार्य किया जाना है जिसके माध्यम से भू–जल स्तर में वृद्धि,जल संरक्षण, संगठित मत्स्य पालन हेतु अनुपयोगी जमीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
4	02–2405001010319 नीलि क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	*706.02*	*706.02*	*2800.00*						
5	02–2405001010117 मत्स्य सम्पदा,सात निश्चय–2			*11952.00*			इस परियोजना के तहत बायोफ्लॉक चौरविकास, जलाशय मत्स्यकी, अलंकारी मछली संवर्द्धन, निजी तलाब जीर्णोद्धार, प्राउन कल्चर एवं मत्स्य बाजार सेड का विकास किया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
6	02–2405007890102 मत्स्य सम्पदा,सात निश्चय–2			*2844.00*						
7	02–2405007960110 मत्स्य सम्पदा,सात निश्चय–2			*204.00*						
8	02–2404000030101 प्रशिक्षण	*50.30*	*50.30*	*212.00*	*253.00*	*253.00*	मत्स्य किसानों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना है।	प्रशिक्षण कार्यक्रम	एसडीजी 2 एसडीजी 6	शिक्षा एव जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
योगफल		**4741.93**	**4741.93**	**34458.60**	**253.00**	**253.00**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रू0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
गन्ना उद्योग विभाग										
1	45–2401001080109 ईंख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम				*3190.00*	*3190.00*	राज्य में प्रोत्साहन पैकेज के रूप में चीनी मिलों की स्थापना/क्षमता विस्तार/ईथेनॉल उत्पादन एवं विद्युत इकाई की स्थापना एवं क्षमता विस्तार के उपरान्त अनुदान भुगतान। विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अंतर्गत ग्रीन फील्ड चीनी परियोजना पर अनुदान हेतु अधिकतम 15.00 करोड़ रू० देने का प्रावधान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान शिक्षा एव जागरूकता अनुसंधान एवं विकास
2	45–2401007890108 ईंख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम				*640.00*	*640.00*				
3	45–2401007960129 ईंख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम				*40.00*	*40.00*				
4	45–2852082010103 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	*2820.99*			*4980.00*	*4980.00*		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान निवेश प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
5	45–2852087890101 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता				*960.00*	*960.00*				
6	45–2852087960102 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता				*60.00*	*60.00*				
योगफल		**2820.99**			**9870.00**	**9870.00**				
100 प्रतिशत श्रेणी का कुल हरित बजट योगदान		**85690.00**	**69497.92**	**225907.60**	**334443.76**	**334442.76**				

श्रेणी 'B' - हरित बजट अनुमान 90 से 75 प्रतिशत (अति उच्च)

वित्तीय वर्ष 2022–23 (राशि लाख रु0 में)										
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48–2215011910106 जल–जीवन–हरियाली अभियान	*300.00*	*270.00*	*675.00*	*750.00*	*675.00*	जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब/पोखर की उड़ाही का कार्य कराया जाता है। साथ ही, कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जाता है और सोख्ता निर्माण भी इस मद के अंतर्गत कराया जाता है जो जल संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देता है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	48–2215011920103 जल–जीवन–हरियाली अभियान	*350.00*	*315.00*	*787.50*	*875.00*	*787.00*				
3	48–2215011930102 जल–जीवन–हरियाली अभियान			*787.50*	*875.00*	*787.00*				
4	48–2215021050101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2			*4410.00*			ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का अलग–अलग वैज्ञानिक तरीके से निश्तारण किया जायेगा, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करेगा।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
5	48–2215027890104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2			*16470.00*						
6	48–2215027960106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2			*1620.00*						
7	48–2217011910109 नागरिक सुविधा	*10995.19*	*3298.56*						एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
8	48–2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	*2279.25*	*1823.40*	*1840.00*	*2300.00*	*1840.00*	स्वच्छता अनुदान मद के तहत स्वच्छता सामग्री की खरीद की जाती है तथा घर–घर से कचरा उठाने के लिए राशि आवंटित की जाती है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करती है।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान
9	48–2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	*1999.94*	*1599.84*	*1600.00*	*2000.00*	*1600.00*				
10	48–2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान			*1360.00*	*1700.00*	*1360.00*				
	योगफल	**15924.38**	**7306.79**	**29550.00**	**8500.00**	**7049.00**				

वित्तीय वर्ष 2022–23											(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
1	01–2401001040205 परम्परागत कृषि विकास योजना	*46.16*	*38.00*	*1332.52*	*2490.00*	*1868.00*	सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली (*PGS-Participatory Guarantee System)* पद्धति के तहत जैविक खेती	जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	01–2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना	*33.55*	*27.00*	*888.74*	*995.00*	*746.00*				
3	01–2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	*6.47*	*5.00*	*171.59*	*191.81*	*144.00*				
4	01–2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना	*0.30*	*0.30*	*11.00*	*11.99*	*9.00*				
5	01–2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*45.02*	*35.00*	*79.02*	*138.00*	*104.00*	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, फसल विविधीकरण, समेकित कीट प्रबंधन		एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
6	01–2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*30.28*	*23.00*	*53.40*						
7	01–2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	*483.14*	*362.00*	*2019.00*	*2288.51*	*1716.00*	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित अधिसंरचना	एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
8	01–2401007890241 सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली पद्धति के तहत जैविक खेती				*480.00*	*360.00*	सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली (*PGS-Participatory Guarantee System)* पद्धति के तहत जैविक खेती		एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
9	01–2401007960263 सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली पद्धति के तहत जैविक खेती	*0.46*			*30.00*	*23.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
10	01–2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*3755.64*	*2939.00*		*11454.00*	*8591.00*	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टीलेज से गेहूँ की खेती, फसल विविधिकरण, एकीकृत कीट प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित अधिसंरचना	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
11	01–2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*2536.33*	*1955.00*		*4577.01*	*3433.00*				
12	01–2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*452.68*	*349.00*		*882.34*	*662.00*				
13	01–2402007890302 मृदा तथा जल संरक्षण				*441.16*	*331.00*	पक्का चेक डेम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जिर्णोद्धार, मेड़बन्दी, स्टैचुगार्ड ट्रेंच एवं पौधा रोपन आदि।		एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
14	01–2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन				*1140.00*	*1008.00*			एसडीजी 15	
15	01–2402007960309 मृदा तथा जल संरक्षण				*27.57*	*21.00*				
	योगफल	**7390.03**	**5733.30**	**4555.28**	**25147.39**	**19016.00**				
लघु जल संसाधन विभाग										
1	50–4702001010101 लघु सिंचाई	*88.01*	*79.21*	*830.00*	*2147.00*	*1932.30*	आहर/पइन/तालाब बांध का पुनरुद्धार	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान
2	50–4702007890101 लघु सिंचाई	*15.25*	*13.73*	*160.00*	*414.00*	*372.60*				
3	50–4702007960103 लघु सिंचाई	*0.21*	*0.19*	*10.00*	*26.00*	*23.40*				
	योगफल	**103.47**	**93.12**	**1000.00**	**2587.00**	**2328.30**				
75 से 90 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान		**23417.88**	**13133.22**	**35105.28**	**36234.39**	**28393.30**				

श्रेणी 'C' - हरित बजट अनुमान 75 से 50 प्रतिशत (उच्च)

वित्तीय वर्ष 2022–23 (राशि लाख रु0 में)										
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
ग्रामीण विकास विभाग										
1	42–2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	*182747.15*	*118785.65*	*259998.70*	*220000.00*	*143000.00*	मानव श्रम का उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं हरित संरचना के विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 6 एसडीजी 8 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	42–2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	*19990.78*	*12994.00*	*34678.20*	*30000.00*	*19500.00*				
3	42–2505027890201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)			*0.65*						
4	42–2505027890301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)			*0.65*						
5	42–2505027960201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)			*0.65*						
6	42–2505027960301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)			*0.65*						
	योगफल	**202737.93**	**131779.65**	**294679.50**	**250000.00**	**162500.00**				
कृषि विभाग										
1	01–2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	*335.32*	*168.00*	*346.00*			फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित संरचना जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	01–2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	*16.45*	*8.00*	*22.00*						

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
3	01–2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	3160.40	2212.00	8447.00	7470.00	5229.00	जैविक फसलों/सब्जी फसलों का उत्पादन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित संरचना जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
4	01–2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	474.69	333.00	1628.00						
5	01–2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	18.54	13.00	102.00	90.00	63.00				
6	01–2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना	9.70	7.00	256.80			सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) पद्धति के तहत जैविक खेती	जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
7	01–2401007960263 परम्परागत कृषि विकास योजना			15.69						
8	01–2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना	33.54	27.00							
9	01–2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	6.46	5.00		191.81	144.00				
10	01–2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	862.42	625.00	3698.52	4482.00	3227.00	समेकित कृषि प्रणाली	हरित अधिसंरचना, जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
11	01–2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	180.19	131.00	712.97	864.00	622.00				
12	01–2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	10.34	8.00	44.56	54.00	39.00				
13	01–2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	518.17	388.00	2500.99	1791.01	1290.00				
14	01–2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	105.86	79.00	483.94	345.25	249.00				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
15	01–2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	*5.66*	*4.00*	*30.97*	*21.58*	*16.00*	समेकित कृषि प्रणाली	हरित अधिसंरचना, जलवायु परिवर्तन शमन		
16	01–2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*3755.63*	*2939.00*	*6539.67*					एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
17	01–2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*670.68*	*518.00*	*1260.61*	*2208.00*	*1656.00*				
18	01–2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)			*4419.65*						
19	01–2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)			*851.76*						
20	01–2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	*30.28*	*23.00*		*55.14*	*41.00*				
21	01–2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	*186.08*	*95.00*	*160.37*	*345.25*	*173.00*	एकवर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, ड्रिप इरीगेशन की योजना		एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान
22	01–2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	*4241.69*	*2986.00*	*4183.00*	*4150.00*	*2905.00*	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।		एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
23	01–2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	*800.37*	*560.00*	*806.00*	*800.00*	*560.00*				
24	01–2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	*50.97*	*36.00*	*50.00*	*50.00*	*35.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
25	01–2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	*724.71*	*507.00*	*4358.00*	*5727.00*	*4009.00*	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित संरचना जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
26	01–2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	*148.43*	*104.00*	*840.00*	*1104.00*	*773.00*				
27	01–2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)			*53.00*	*69.00*	*48.00*				
28	01–2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	*98.95*	*74.00*	*389.00*						
29	01–2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)			*24.00*						
30	01–2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	*983.30*	*492.00*		*1791.01*	*896.00*	उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, एक वर्षीय एवं बहु वर्षीय, ड्रींप सिंचाई		एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान
31	01–2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	*186.08*			*345.25*	*173.00*				
32	01–2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	*8.57*	*4.00*		*21.58*	*11.00*				
33	01–2401001190224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	*1474.95*	*737.00*		*4482.00*	*2241.00*				
34	01–2401007890235 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	*283.58*	*142.00*		*864.00*	*432.00*				
35	01–2401007960257 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	*12.85*	*6.00*		*54.00*	*27.00*				
	योगफल	**19394.86**	**13231.00**	**42224.49**	**37375.88**	**24859.00**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग										
1	02–2405001010104 तालाब मत्स्यपालन का विकास एवं जीर्णोद्धार				*7700.16*	*5775.12*	मत्स्य विकास योजनाएँ–सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार, तालाब निर्माण एवं मत्स्य आहार की योजना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 6 एसडीजी 14	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	02–2405001010117 मत्स्य सम्पदा,सात निश्चय–2				*6225.00*	*4668.75*	चौर विकास, जलाशय मात्स्यिकी, नाव जाल, पेन कल्चर, मत्स्य बाजार निर्माण एवं सरकारी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की योजना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित संरचना, जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 6 एसडीजी 14	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
3	02–2405007890102 मत्स्य सम्पदा,सात निश्चय–2				*1200.00*	*900.00*				
4	02–2405007960110 मत्स्य सम्पदा,सात निश्चय–2				*75.00*	*56.25*				
योगफल					**15200.16**	**11400.12**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
शिक्षा विभाग										
1	21–4202012010106 जल–जीवन–हरियाली			*3750.00*	*10.00*	*7.50*	राज्य के प्राथमिक विद्यालय अन्तर्गत प्रथम चरण में चिन्हित 3125 विद्यालयों में वाटर हारवेस्टिंग का निर्माण 80,000/–(अस्सी हजार रू०) मात्र प्रति विद्यालय की दर से निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण में चिन्हित विद्यालयों में वाटर हारवेस्टिंग द्वारा जल संचय किये जाने की योजना है। पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	21–4202012020115 जल–जीवन–हरियाली			*480.00*	*300.00*	*225.00*	राज्य के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत चिन्हित 1500 मध्य विद्यालय जिनमें अप्रील 2020 से नवी कक्षा संचालित की जा रही है, में वाटर हारवेस्टिंग द्वारा जल संचय किये जाने की योजना है।		एसडीजी 6	
	योगफल	**0.00**	**0.00**	**4230.00**	**310.00**	**232.50**				
परिवहन विभाग										
1	47–3055001900102 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	*1943.00*	*1943.00*	*2000.00*	*4000.00*	*2000.00*	*BSRTC* द्वारा सीएनजी बसों के क्रय हेतु अनुदान तथा *Fame II*के अंतर्गत 25 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 11 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान निवेश प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
	योगफल	**1943.00**	**1943.00**	**2000.00**	**4000.00**	**2000.00**				
50 से 75 प्रतिशत श्रेणी का कुल हरित बजट योगदान		**224075.79**	**146953.65**	**343133.99**	**306886.04**	**200991.62**				

श्रेणी 'D' - हरित बजट अनुमान 50 से 25 प्रतिशत (मध्यम)

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48–2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	*16174.17*	*4852.25*	*4950.00*	*395.00*	*118.50*	इस योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पार्क निर्माण, तालाब एवं पोखर का जीर्णोद्धार कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	48–2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	*1233.15*	*369.95*	*750.00*	*500.00*	*150.00*	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु योजना (नाला, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन कार्य) किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छत एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।		एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन
3	48–2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	*530.33*	*159.10*	*750.00*	*500.00*	*150.00*				
4	48–2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	*23260.86*	*6978.26*	*1807.49*	*26105.00*	*7831.50*				
5	48–2215021070101 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टमसात निश्चय–2			*150.00*	*9800.00*	*2940.00*				
6	48–2215027890103 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टमसात निश्चय–2			*1290.00*	*100.00*	*30.00*				
7	48–2215027960105 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टमसात निश्चय–2			*60.00*	*100.00*	*30.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
8	48–2217011910109 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान			*3600.00*	*6000.00*	*1800.00*	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुगम एवं प्रदूषण रहित सुविधा होगी तथा यातायात पर दबाव कम होगा, जो शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन
9	48–2217011910116 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	*1197.60*	*359.29*	*900.00*	*1500.00*	*450.00*				
10	48–2217031920105 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	*760.53*	*228.16*	*750.00*	*1250.00*	*375.00*				
11	48–2217031930104 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	*335.26*	*100.57*	*750.00*	*1250.00*	*375.00*				
12	48–5075601900101 पटना मेट्रो रेल	*5000.00*	*2500.00*	*7750.00*	*15000.00*	*7500.00*	इस योजना के अंतर्गत पटना में मेट्रो रेल का कार्य प्रगति पर है। पहले चरण का कार्य 2024 तक समाप्त होने का लक्ष्य है।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण हरित अधिसंरचना	एसडीजी 9 एसडीजी 11 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना निवेश
13	48–2217030510205 झीलों का सौंदर्यीकरण			*495.00*			इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में झीलों का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाता है। यह योजना पर्यावरण को स्वच्छ एवं जल संरक्षण के हित में है। कुल बजट राशि का 50 प्रतिशत भाग हरित बजट के अंतर्गत रखा जा सकता है।	पर्यावरण प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन
14	48–2217030510305 झीलों का सौंदर्यीकरण	*300.00*		*300.00*						

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
15	48–2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण,सात निश्चय–2				*5000.00*	*2000.00*	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में झीलों का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाता है। यह योजना पर्यावरण को स्वच्छ एवं जल संरक्षण के हित में है। कुल बजट राशि का 50 प्रतिशत भाग हरित बजट के अंतर्गत रखा जा सकता है	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी	एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
16	48–2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण,सात निश्चय–2				*9500.00*	*3800.00*				
	योगफल	**48791.90**	**15547.58**	**24302.49**	**77000.00**	**27550.00**				
ग्रामीण कार्य विभाग										
1	37–4515001030316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	*23312.80*	*5828.20*	*11580.00*	*20030.00*	*11580.00*	सड़क किनारे वृक्षारोपण, प्लास्टिक के कचरे और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण किया जाना है।	संधारणीय उपभोग हरित अधिसंरचना	एसडीजी 12 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
	योगफल	**23312.80**	**5828.20**	**11580.00**	**20030.00**	**11580.00**				
कृषि विभाग										
1	01–2401001040106 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	*3179.42*	*1431.00*	*4109.00*	*6225.00*	*2801.00*	तालाब का निर्माण/मेड़ पर वाणिकी/उद्यानिकी फसलों को लगाना/कृषि संबंधी फसलें।	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना	एसडीजी 2 एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	01–2401007890147 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	*512.92*	*231.00*	*792.00*	*1200.00*	*540.00*				
3	01–2401007960169 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	*105.89*	*48.00*	*50.00*	*75.00*	*34.00*				
4	01–2401001190101 उद्यान विकास योजना	*7977.99*	*3989.00*	*6225.00*	*11620.00*	*5810.00*	एकवर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, सुगंधित पौधों का क्षेत्र में प्रसार।		एसडीजी 2 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
5	01–2401007890130 उद्यान विकास योजना	*1438.32*	*719.00*	*1200.00*	*2240.00*	*1120.00*				
6	01–2401007960152 उद्यान विकास योजना	*82.27*	*41.00*	*75.00*	*140.00*	*70.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
7	01–2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*(NFSM)*	*3121.87*	*1562.00*	*4150.00*	*5826.60*	*2913.00*	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टीलेज से गेहूँ की खेती, पैडी ट्रान्सप्लान्टर से धान की रोपाई	जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
8	01–.2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*(NFSM)*	*525.30*	*263.00*	*800.00*	*1123.20*	*562.00*				
9	01–2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*(NFSM)*	*26.03*	*13.00*	*50.00*	*70.20*	*35.00*				
10	01–2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*(NFSM)*	*1932.51*	*997.00*	*1794.00*	*2328.32*	*1164.00*				
11	01–2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*(NFSM)*				*448.83*	*224.00*				
12	01–2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*(NFSM)*				*28.05*	*14.00*				
13	01–2401001030218 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*623.00*	*1780.35*	*445.00*	बीज ग्राम योजनन्तर्गत बीज का उत्पादन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
14	01–2401007960271 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*8.00*	*21.45*	*5.00*				
15	01–2401007890349 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*52.00*	*137.14*	*34.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23											(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण		गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग											
16	01–2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन			*1.00*			तेलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना		एसडीजी	2	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
17	01–2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*1038.00*	*4482.00*	*1121.00*	भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संरचणन का निर्माण, पौधारोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहिन किसानों के लिए कार्यक्रम एवं उत्पादन प्रणाली आदि स्प्रींकलर/टपकन सिंचाई की योजना		एसडीजी	2	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
18	01–2401007960261 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*13.00*	*54.00*	*14.00*			एसडीजी	6	
19	01–2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*449.00*	*1791.01*	*448.00*			एसडीजी	15	
20	01–2401001190224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन			*1245.00*			एकवर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, ड्रिप इरीगेशन की योजना	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना।	एसडीजी	2	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
21	01–2401007890235 राष्ट्रीय बागवानी मिशन			*240.00*					एसडीजी	6	
22	01–2401007960257 राष्ट्रीय बागवानी मिशन			*15.00*					एसडीजी	15	
23	01–2401001190324 राष्ट्रीय बागवानी मिशन			*829.58*							
24	01–2401007960357 राष्ट्रीय बागवानी मिशन			*9.25*							
	योगफल	**18902.52**	**9294.00**	**23767.83**	**39591.15**	**17354.00**					

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग										
1	02–2405001010219 नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन				*24935.71*	*7480.71*	रियरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट, झींगा एवं मांगुर हैचरी, रोग निदान प्रयोगशाला का निर्माण आदि कार्य किया जाना है जिसके माध्यम से भू–जलस्तर में वृद्धि, जल संरक्षण, संगठित मत्स्य पालन हेतु अनुपयोगी जमीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	02–2405001010319 नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन				*2323.96*	*697.18*				
3	02–2405007890201 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।				*4806.84*	*1442.05*	रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण। भू–जल स्तर में वृद्धि, जल संरक्षण, जल संसाधनों का परम्परागत् उपयोग, पारिस्थितकी संतुलन।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
4	02–2405007960201 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।				*300.45*	*90.14*				
5	02–2405007890301 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।				*448.00*	*134.40*				
6	02–2405007960301 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।				*28.04*	*8.41*				
योगफल					**32843.00**	**9852.89**				

वित्तीय वर्ष 2022–23											(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण		गतिविधि मानचित्रण
गन्ना उद्योग विभाग											
1	45–2401001080109 ईख विकास	*413.07*	*347.32*	*1089.79*			मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता और चीनी प्राप्ति के प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा उक्त योजना के तहत पानी की कम जरूरत वाले गन्ना के प्रभेद CoP-9301, CO-98014 और CoLK-94184 चयनित हैं, जिन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2		कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	45–2401007890108 ईख विकास	*38.27*	*38.72*	*210.08*							
3	45–2401007960129 ईख विकास	*1.75*	*1.75*	*13.13*							
	योगफल	**453.09**	**387.79**	**1313.00**							
25 से 50 प्रतिशत श्रेणी का कुल हरित बजट योगदान		**91460.31**	**31057.57**	**60963.32**	**169464.15**	**66336.89**					

श्रेणी 'E' - हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (निम्न)

वित्तीय वर्ष 2022–23 (राशि लाख रु0 में)										
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48–2217011910115 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	*1847.54*	*184.75*	*250.00*	*500.00*	*50.00*	मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 10 फीट से कम चौड़ाई वाली गलियों का निर्माण पेवर ब्लॉक से कराया जाता है जो जल संभरण (रिचार्ज) के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।	पर्यावरण प्रबंधन हरित अधिसंरचना	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	48–2217031930103 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	*933.85*	*93.39*	*900.00*	*70.00*	*7.00*				
3	48–2217017890102 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान			*100.00*	*1000.00*	*100.00*				
4	48–2217037890102 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	*2464.50*	*246.45*	*450.00*	*4500.00*	*450.00*				
5	48–2217030510202 अमृत (*AMRUT*)	*68593.00*	*6859.30*	*4800.00*	*48000.00*	*4800.00*	इस योजना के अंतर्गत पार्क निर्माण, जलापूर्ति, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और *FSSM* योजना का क्रियान्वयन होता है। इसके तहत हरित स्थल/वृक्षारोपण/वर्षा जल संरक्षण/स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भूजल संचयन और संभरण गड्ढा (रिचार्ज पिट) भी बनाया जा रहा है। *FSSM* योजना के अंतर्गत शौचालयों के मलजल का प्रबंधन किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन हरित अधिसंरचना अपशिष्ठ प्रबंधन	एसडीजी 6 एसडीजी 11 एसडीजी 12	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
6	48–2217030510302 अमृत (*AMRUT*)	*13000.00*	*1566.96*	*2895.90*	*5600.00*	*560.00*				
7	48–2217800010501 बिहार नगर विकास परियोजना			*7040.00*	*35000.00*	*7000.00*	इस योजना के अंतर्गत सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	पर्यावरण प्रबंधन, अपशिष्ठ प्रबंधन, प्रदूषण की कमी	एसडीजी 6 एसडीजी 11	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना

वित्तीय वर्ष 2022–23											(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
8	48–2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन			*4200.00*	*42000.00*	*2100.00*	इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है जो पर्यावरण हित में है।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 7 एसडीजी 11 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
9	48–2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	*250.00*	*12.50*	*2000.00*	*20000.00*	*1000.00*				
10	48–3475001080202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना*(NULM)*	*2261.90*	*113.09*		*4125.00*	*206.25*	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण हित में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। कुल बजट राशि 05 प्रतिशत भाग हरित बजट के अंतर्गत रखा जा सकता है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 11 एसडीजी 13 एसडीजी 15	शिक्षा एव जागरूकता
11	48–3475001080302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना*(NULM)*	*1624.37*	*81.22*		*1381.97*	*69.10*				
12	48–3475007890202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना*(NULM)*	*695.25*	*34.76*		*3200.00*	*160.00*				
13	48–3475007890302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना*(NULM)*	*320.00*	*16.00*		*468.00*	*23.40*				
14	48–3475007960202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना*(NULM)*	*175.00*	*8.75*		*175.00*	*8.75*				
15	48–3475007960302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना*(NULM)*	*20.00*	*1.00*		*150.00*	*7.50*				
	योगफल	**92185.41**	**9218.16**	**22635.90**	**166169.97**	**16542.00**				

वित्तीय वर्ष 2022–23											(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
ग्रामीण कार्य विभाग										
1	37–4515001030113 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना			*2343.39*			सड़क किनारे वृक्षारोपण अपशिष्ट प्लास्टिक सामग्री और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली सड़क	जलवायु परिवर्तन शमन, जमीन का संधारणीय उपभोग	एसडीजी 12 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	37–4515007890201 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय				*92257.00*	*6816.00*	अपशिष्ट प्लास्टिक सामग्री और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली सड़क		एसडीजी 12 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
	योगफल	**0.00**	**0.00**	**2343.39**	**92257.00**	**6816.00**				
कृषि विभाग										
1	01–2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	*8188.55*	*1638.00*	*2324.00*	*9960.00*	*1992.00*	बीज गुणन फार्मो का विस्तार, खेती पर व्यय, आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	01–2401007890117 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	*1532.41*	*306.00*	*448.00*	*1920.00*	*384.00*				
3	01–2401007960140 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	*90.94*	*18.00*	*28.00*	*120.00*	*24.00*				
4	01–2401001030218 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*621.26*			बीज ग्राम योजना के अंतर्गत बीज का उत्पादन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन
5	01–2401007890249 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*120.00*	*343.20*	*86.00*				
6	01–2401007960271 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*7.50*	*21.45*	*5.00*				
7	01–2401001030318 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*269.00*	*711.43*	*178.00*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
8	01–2401007890349 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*51.00*	*137.14*	*34.00*	बीज ग्राम योजना के अंतर्गत बीज का उत्पादन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन
9	01–2401007960371 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन			*3.00*	*8.57*	*2.00*				
10	01–2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	*122.41*	*24.00*	*114.00*	*498.00*	*100.00*	तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता
11	01–2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	*21.88*	*4.00*	*22.00*	*96.00*	*19.00*				
12	01–2401007960256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	*1.06*		*1.00*	*6.00*	*1.00*				
13	01–2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	*79.78*	*16.00*	*49.00*	*199.00*	*40.00*				
14	01–2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	*14.31*	*3.00*	*10.00*	*38.36*	*8.00*				
15	01–2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	*0.71*		*0.75*	*2.40*	*0.48*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
कृषि विभाग										
16	01–2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*1037.00*	*4482.00*	*1121.00*	भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहीन किसानों के लिए कार्यक्रम और उत्पादन प्रणाली आदि / स्प्रिंकलर / ड्रिप इरीगेशन की योजना	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 6 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
17	01–2401007890239 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*200.00*	*864.00*	*216.00*				
18	01–2401007960261 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*12.50*	*54.00*	*14.00*				
19	01–2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*448.50*	*1791.01*	*448.00*				
20	01–2401007890339 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*86.00*	*345.25*	*86.00*				
21	01–2401007960361 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*5.00*	*21.58*	*5.00*				
	योगफल	**10052.05**	**2009.00**	**5857.51**	**21619.39**	**4763.48**				
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग										
1	02–2404007960101 प्रशिक्षण और विस्तार	*69.47*	*11.58*	*20.00*	*80.00*	*13.33*	राज्य के सभी जिलों में 02 दुधारू मवेशी की 83 डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुसूचित जनजाति के लाभुको को सब्सिडी प्रदान किया जाना है तथा अनुसूचित जनजाति के 285 पुरष सदस्यों को डी0एन0एस0 पटना मे पशु प्रबंधन एवं पोषण से सम्प्रबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।	सतत प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	02–2404007960102 आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और संस्कार परियोजना – सात निश्चय परियोजना			*10.00*	*75.00*	*5.00*	कमफेड द्वारा राज्य के विभिन्य दुग्ध संघो मे आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रो की सथापना, विपणन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 05 कोलड स्टोरेज का निर्माण, सुधा बोतलबंद पानी उतपादन के लिए एक संयंत्र तथा ब्रेकेड फायरड वर्यलर की सथापना किया जाना है।	सतत प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 9 एसडीजी 15	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
	योगफल	**69.47**	**11.58**	**30.00**	**155.00**	**18.33**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पथ निर्माण विभाग										
1	41–5054033370102 बृहद पथ			*4246.00*			1. *BSHP-II, IIAF-III* के तहत राज्य उच्चपथों का निर्माण। 2. गंगा पथ का निर्माण। 3. आर–ब्लॉक से दीघा सड़क का निर्माण इनमें अनिवार्य वनरोपण, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रावधान हैं।	जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना निवेश
	योगफल	**0.00**		**4246.00**						
भवन निर्माण विभाग										
1	03–4059010510101 भवननिर्माण	*7448.28*	*521.38*	*1176.00*	*16900.00*	*1183.00*	ईंट के स्थान पर शत प्रतिशत फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, रिफलेक्टिव पेंट का प्रयोग किया जा रहा है, सोलर पैनल तथा मल–जल उपचार संयंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, भूजल के संभरण के लिए सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्माण में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर दूसरी जगह लगाया जा रहा है। भवन के विद्युत कार्य में एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है, एयर कंडिशनिंग में इनवर्टर आधरित 4/5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडिशनर का प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत उपकरणों/बल्ब को ससमय ऑफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न नवनिर्मित महत्वपूर्ण भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन संधारणीय उपभोग	एसडीजी 6 एसडीजी 7 एसडीजी 11 एसडीजी 12 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	03–4216017000101 अन्य आवास	*17561.17*	*1229.28*	*3080.00*	*44000.00*	*3080.00*				
3	03–4059800510110 न्यायिक भवन			*7.00*	*50.00*	*3.50*				
4	03–4216017000102 न्यायिक आवासीय भवन			*7.00*	*50.00*	*18323.00*				
	योगफल	**25009.45**	**1750.66**	**4270.00**	**61000.00**	**22589.50**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
जल संसाधन विभाग										
1	49–2705000010204 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			*50.00*	*500.00*	*100.00*		खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि	एसडीजी 2 एसडीजी 6	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना शिक्षा एव जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	49–2705000010304 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	*2726.00*	*272.60*	*116.60*	*3415.00*	*683.00*				
3	49–4700800510207 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	*1172.21*	*117.22*	*465.41*	*4063.00*	*812.60*				
4	49–4700800510309 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	*1895.62*	*189.56*	*327.98*	*6669.00*	*1333.80*				
5	49–4700800050101 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	*232.05*	*23.21*	*97.50*	*500.00*	*100.00*	सिंचाई योजनाओं एवं नदियों का सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। इंद्रपुरी जलाशय योजना एवं अन्य प्रस्तावित योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य।	जल का समावेशी प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन
6	49–4700800510102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	*1.15*	*0.12*	*60.00*	*500.00*	*100.00*	सिंचाई शोध संस्थान, खगौल के नए भवन का निर्माण एवं अन्य नई योजनाओं का डी०पी०आर० बनाने का कार्य।	जल का समावेशी प्रबंधन	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास
7	49–4700800510104 सिंचाई सृजन परियोजनाएं(कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएँ	*66218.76*	*6621.88*	*184.37*	*74400.00*	*18600.00*	पेय जल हेतु गंगा जल उद्वह योजना का निर्माण। कर्मनाशा नदी पर निकृष पंप नहर योजना एवं चौसा शाखा नहर के जीर्णोद्धार कार्य द्वारा 3786 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन।	खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
जल संसाधन विभाग										
8	49–4700800510105 सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	*31711.74*	*3171.17*	*5860.88*	*46345.00*	*11586.25*	पश्चिमी कोशी नहर योजना, बिहुल वीयर योजना, गोरौल वीयर योजना, बघेला घाट वीयर योजना, पकड़ी टिकमा, बलवा बराज, पूर्वी गंडक–म्डए झीम नदी पर गेटेड वीयर, पश्चिमी गंडक नहर, कुंडघाट जलाशय योजना, मुहाने नदी पर चेक डैम, नौमा सिंचाई योजना, बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना, हरनगवई सिंचाई योजना, लखीसराय जिला के हलसी प्रखंड में वीयर योजना आदि में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जाएगा।	खाद्य सुरक्षा पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
9	49–4700807890102 सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	*15169.96*	*1517.00*	*2540.00*	*26822.00*	*6705.50*				
10	49–4700800510310 उत्तर कोयल जलाशय परियोजना			*500.00*	*1500.00*	*300.00*	उत्तर कोयल नहर परियोजना के अवशेष कार्य को पूरा किया जाएगा।	खाद्य सुरक्षा पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
11	49–4711010510110 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	*6972.64*	*697.26*	*3258.34*	*8400.00*	*840.00*	113 अदद स्वीकृत बाढ़ सुरक्षात्मक योजना का क्रियान्वयन कर गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, गंगा आदि नदियों पर स्थित तटबंधो को सुरक्षित रखने का कार्य{म है। इससे राज्य के बड़ी आवादी को बाढ़ से सुरक्षा प्राप्त होगी।	मानव बस्तीसंरक्षण, आधारभूत संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
12	49–4711017890104 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	*10191.09*	*2547.77*	*2112.00*	*23300.00*	*2330.00*				
13	49–4711017960101 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	*1289.92*	*322.48*	*290.80*	*3133.00*	*313.30*				
14	49–4711010510111 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएं	*5250.76*	*525.08*	*750.00*	*6000.00*	*600.00*	6 अदद योजनाओं का क्रियान्वयन कर बूढ़ी गंडक दायां तटबंध, कमला बायां एवं दायां तटबंध, महानंदा दायां तटबंध आदि का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण/ पक्कीकरण/ कालीकरण किया जाएगा।			कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
जल संसाधन विभाग										
15	49–4711010510209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	*34423.91*	*3442.39*	*4996.29*	*72800.00*	*7280.00*	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन
16	49–4711010510309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	*15955.58*	*1595.56*	*3016.22*	*18416.00*	*1841.60*	दुर्गावती जलाशय योजना से 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा।	मानव बस्तीसंरक्षण, आधारभूत संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
17	49–4711010510212 सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	*3484.32*	*348.43*	*1500.00*	*16500.00*	*1650.00*	19 अदद योजनाओं का क्रियान्वयन कर नेपाल भाग में स्थित स्पर, स्टड, रिवेटमेंट्स को मजबूत बनाया जाएगा।			कार्यक्रम कार्यान्वयन
18	49–4700807890103 हर खेत तक सिंचाई का पानी,सात निश्चय–2			*160.00*	*1600.00*	*400.00*	सात निश्चय–2 के तहत् ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित योजनाओं का क्रियान्वयन	खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि	एसडीजी 2 एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
19	49–4700807960101 हर खेत तक सिंचाई का पानी,सात निश्चय–2			*10.00*	*100.00*	*25.00*				
20	49–4700800510106 हर खेत तक सिंचाई का पानी,सात निश्चय–2			*830.00*	*8300.00*	*2075.00*				
	योगफल	**196695.71**	**21391.72**	**27126.39**	**323263.00**	**57676.05**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
सूचना एवं जन–संपर्क विभाग										
1	24–2220601060101 क्षेत्रीय प्रचार योजना				*8223.00*	*411.00*	जल–जीवन हरियाली अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार। जन जागरूकता हेतु पर्यावरण संरक्षण–संवर्धन से संबंधित सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार–प्रसार।	हरित अधिसंरचना, जलवायु परिवर्तन शमन, संधारणीय उपभोग	एसडीजी 6 एसडीजी 13 एसडीजी 15	शिक्षा एव जागरूकता
योगफल					**8223.00**	**411.00**				
परिवहन विभाग										
1	47–3055001990101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना				*4500.00*	*675.00*	MMGPY के अन्तर्गत सभी प्रखंडों में परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु वाहनों के खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी में अन्य वाहनों के अलावे बैट्री चालित, ई0 रिक्शा के क्रय पर भी अनुदान दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।	हरित संरचना जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 11 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	47–3055007890101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना				*5500.00*	*825.00*				
3	47–3055007960101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना				*500.00*	*75.00*				
योगफल					**10500.00**	**1575.00**				
25 से 5 प्रतिशत श्रेणी का कुल हरित बजट योगदान		**324012.09**	**34381.12**	**66509.19**	**683187.36**	**92071.86**				

श्रेणी 'F' - हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48–2217030510203 सबके लिए आवास (शहरी)	*10132.62*	*506.63*	*985.00*			राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में आवसित आवास विहीन प्रत्येक परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।	पानी और स्वच्छता में सुधार और बेहतर जीवन	एसडीजी 11 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	48–2217030510303 सबके लिए आवास (शहरी)	*15669.59*	*783.48*	*390.00*						
3	48–2217017890205 सबके लिए आवास (शहरी)			*240.00*						
4	48–2217017890305 सबके लिए आवास (शहरी)	*799.58*	*39.97*	*70.00*						
5	48–2217037890205 सबके लिए आवास (शहरी)	*2937.59*	*146.88*	*720.00*						
6	48–2217037890305 सबके लिए आवास (शहरी)	*2667.80*	*133.39*	*145.00*						
7	48–2217017960201 सबके लिए आवास (शहरी)	*104.48*	*5.22*	*13.75*						
8	48–2217017960301 सबके लिए आवास (शहरी)	*49.99*	*2.50*	*5.00*						
9	48–2217037960203 सबके लिए आवास (शहरी)	*214.20*	*10.71*	*41.25*						
10	48–2217037960303 सबके लिए आवास (शहरी)	*179.73*	*9.99*	*10.00*						

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
नगर विकास एवं आवास विभाग										
11	48–3475001080202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (*NULM*)			*206.25*			इस योजना के अंतर्गत संचालित अंगीकार योजना के अधीन पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रचार–प्रसार, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 11 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता
12	48–3475001080302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (*NULM*)			*69.10*						
13	48–3475007890202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (*NULM*)			*160.00*						
14	48–3475007890302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (*NULM*)			*23.40*						
15	48–3475007960202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (*NULM*)			*8.75*						
16	48–3475007960302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (*NULM*)			*7.50*						
	योगफल	**32755.58**	**1638.76**	**3095.00**						
ग्रामीण विकास विभाग										
1	42–2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना–2			*250.00*			वास भूमि वाले भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत किसान, महिला–प्रधान परिवार तथा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए घरेलू शौचालय के उपयोग और हाथ धोने के लिए जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलू शौचालय का निर्माण किया जाना है। चिह्नित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जिन ए. पी.एल. परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।	पर्यावरण प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान
2	42–2215021050103 लोहिया स्वच्छता योजना–1			*0.50*						

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
ग्रामीण विकास विभाग										
3	42–2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	*7141.17*	*357.05*	*2400.00*			इस योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी	एसडीजी 6	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
4	42–2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	*441317.00*	*2215.85*	*300.00*						
5	42–2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	*1629.42*	*81.47*	*3540.00*	*16000.00*	*800.00*				
6	42–2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	*11363.33*	*568.17*	*442.50*	*3000.00*	*150.00*				
7	42–2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	*85.85*	*4.29*	*60.00*	*800.00*	*40.00*				
8	42–2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	*1136.33*	*56.82*	*7.50*	*150.00*	*7.50*				
9	42–2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन *(NRLM)*	*22345.49*	*1117.27*	*2220.00*	*65730.00*	*3286.50*	बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मुलन हेतु जीविका परियोजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन के दिशा में प्रशिक्षण दिया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 5 एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
10	42–2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन *(NRLM)*	*14549.80*	*727.49*	*1510.68*	*10836.00*	*541.80*				
11	42–2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन *(NRLM)*	*23878.47*	*1193.92*	*2164.50*	*53210.00*	*2660.50*				
12	42–2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन *(NRLM)*	*15717.60*	*785.88*	*1295.60*	*8772.00*	*438.60*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
ग्रामीण विकास विभाग										
13	42–2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन *(NRLM)*	*16542.83*	*827.14*	*1165.50*	*37560.00*	*1878.00*	बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मुलन हेतु जीविका परियोजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन के दिशा में प्रशिक्षण दिया जाता है।			
14	42–2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन *(NRLM)*	*10882.72*	*544.14*	*907.05*	*6192.00*	*309.60*				
15	42–2515001020517 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	*23413.95*	*1170.70*	*2117.40*	*33600.00*	*1680.00*				
16	42–2515007890510 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	*9700.55*	*485.03*	*877.25*	*13920.00*	*696.00*				
17	42–2515007960517 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	*334.10*	*16.71*	*30.25*	*480.00*	*24.00*				
18	42.2501061010204 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*5040.00*	*252.00*	इस योजना अन्तर्गत सशक्तीकरण हेतु बैकों के माध्यम से ऋण मुहैय्या कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन के दिशा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना के तहत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम पर केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे विषय शीर्ष में बजट प्रावधानित राशि का समान्य मद, अनुसूचित जाति मद एवं अनुसूचित जनजाति मद में क्रमशः 50, 29 एवं 21 प्रतिशत व्यय किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
19	42–2501061010304 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*630.00*	*31.50*				
20	42–2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*252.00*	*12.60*				
21	42–2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*42.00*	*2.10*				
22	42–2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*42.00*	*2.10*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
ग्रामीण विकास विभाग										
23	42–2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*42.00*	*2.10*	इस योजना अन्तर्गत सशक्तीकरण हेतु बैकों के माध्यम से ऋण मुहैय्या कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन के दिशा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना के तहत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम पर केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे विषय शीर्ष में बजट प्रावधानित राशि का समान्य मद, अनुसूचित जाति मद एवं अनुसूचित जनजाति मद में क्रमशः 50, 29 एवं 21 प्रतिशत व्यय किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
24	42–2501067890203 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*4080.00*	*204.00*				
25	42–2501067890303 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*510.00*	*25.50*				
26	42–2501067890204 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*204.00*	*10.20*				
27	42–2501067890304 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*34.00*	*1.70*				
28	42–2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*34.00*	*1.70*				
29	42–2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*34.00*	*1.70*				
30	42–2501067960203 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*2880.00*	*144.00*				
31	42–2501067960303 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*360.00*	*18.00*				
32	42–2501067960204 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*144.00*	*7.20*				
33	42–2501067960304 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*24.00*	*1.20*				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
ग्रामीण विकास विभाग										
34	42–2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*24.00*	*1.20*	इस योजना अन्तर्गत सशक्तीकरण हेतु बैकों के माध्यम से ऋण मुहैय्या कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन के दिशा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना के तहत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम पर केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे विषय शीर्ष में बजट प्रावधानित राशि का समान्य मद, अनुसूचित जाति मद एवं अनुसूचित जनजाति मद में क्रमशः 50, 29 एवं 21 प्रतिशत व्यय किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 8	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
35	42–2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन				*24.00*	*1.20*				
	योगफल	**600038.61**	**10151.92**	**19288.74**	**264650.00**	**13232.50**				
ग्रामीण कार्य विभाग										
1	37–3054041050001 सड़क और पुल	*168392.99*	*8419.65*	*3436.04*	*255000.00*	*8964.60*	सड़क किनारे वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कचरा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण	जलवायु परिवर्तन शमन, जमीन का संधरणीय उपयोग	एसडीजी 12 एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	37–4515001030113 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	*52932.13*	*2646.61*		*30000.00*	*137.14*				
3	37–4515007960109 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	*9619.00*	*480.95*	*252.86*	*7950.00*	*36.34*				
4	37–4515007890104 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	*122833.60*	*6141.68*	*2135.53*	*35047.00*	*160.21*				
5	37–4515001030216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	*112.50*	*5.63*	*17371.00*	*389143.00*	*18269.74*				
	योगफल	**353890.22**	**17694.51**	**23195.44**	**717140.00**	**27568.03**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पशु एवं मत्स्य संसाधन										
1	02–2404001020115 गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं	*10958.36*		*100.00*	*6387.00*	*65.52*	इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीकों के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 2	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन
2	02–2404007890101 ग्रामीण डेयरी रोजगार योजना	*1282.56*		*80.00*	*1280.00*	*53.33*				
3	02–2404001020116 आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और प्रसंस्करण परियोजना, सात निश्चय			*212.75*	*6225.00*	*106.38*				
4	02–2404007890103 आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और प्रसंस्करण परियोजना, सात निश्चय			*58.44*	*1200.00*	*29.22*				
5	02–2405001090102 मत्स्य प्रजनन				*1620.05*	*81.00*	इस परियोजना के तहत वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से राज्य के जलाशयों का समग्र मत्स्य विकास		एसडीजी 14	शिक्षा एव जागरूकता
	योगफल	**12240.92**		**451.19**	**16712.05**	**335.45**				
पथ निर्माण विभाग										
1	41–5054033370508 सड़क	*129364.40*	*3856.00*	*3857.00*	*156300.00*	*4689.00*	BSHP-II, IIAF-III के तहत राज्य उच्चपथों का निर्माण, गंगापथ का निर्माण, आर–ब्लॉक से दीघा सड़क का निर्माण इनमें अनिवार्य वनरोपण, जैवविविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रावधान हैं।	जमीन का संधारणीय उपयोग, जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	41–5054033370102 वृहद पथ	*64141.06*	*17.06*		*3152.97*	*94.58*				
3	41–5054037890101 वृहद पथ	*44518.05*	*191.32*	*280.00*	*63236.00*	*1897.08*		जमीन का संधारणीय उपयोग, जलवायु परिवर्तन शमन	एसडीजी 13 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
	योगफल	**238023.51**	**4064.38**	**4137.00**	**222688.97**	**6680.66**				

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
पर्यटन विभाग										
1	46–5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	*3867.53*	*207.42*	*500.00*	*15500.00*	*400.00*	इसके तहत वैशाली जिले में विश्व शांति स्तूप के समीप अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति हेतु योजना स्वीकृत की गई है। वर्तमान में उक्त सरोवर में गाद भरा हुआ है। इस सरोवर में तकनीकी और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन परिपथ में मार्गीय सुविधएं यथा ढाबों/लाइन होटलों/मोटलों आदि का उन्नयन एवं मानकीकरण किया जाना है। इससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत शौचालयों का भी निर्माण किया जाना है जिससे खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को भी काफी मदद मिलेगी।	जमीन का संधारणीय उपयोग, हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था	एसडीजी 6 एसडीजी 12	कार्यक्रम कार्यान्वयन
	योगफल	**3867.53**	**207.42**	**500.00**	**15500.00**	**400.00**				
शिक्षा विभाग										
1	21–2202010010105 शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षिक आयोजन एवं महोत्सव	*91.25*	*4.56*	*25.00*	*500.00*	*25.00*	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के वृक्षारोपन के प्रति जागरूक एवं संवेदनशीन बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रावधान है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 4 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता कौशल विकास
2	21–2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण			*58.45*	*10.00*	*0.20*	विद्यालय परिभ्रमण द्वारा छात्र पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं एवं पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए संकल्पित होते हैं।			

वित्तीय वर्ष 2022–23											(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
शिक्षा विभाग										
3	21–2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	*378.00*		*30.00*	*1000.00*	*30.00*	बच्चो को पर्यावरण संधारणीय वस्तु निर्माण हेतु कौशल विकास	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 4 एसडीजी 13	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता कौशल विकास
4	21–2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना				*100.00*	*2.00*	माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख जैविक उद्यानों एवं पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाता है जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के लिए कृत संकल्पित होते है।		एसडीजी 7 एसडीजी 9 एसडीजी 13	
5	21–4202012010105 प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण				*20000.00*	*15.00*	बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा ऐसी भवन के निर्माण का निर्देश है कि घर रोशनदान युक्त हो तथा दिन में बिजली की कम से कम आवश्यकता हो । छत पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। दिवाल पर भी पर्यावरण जागरूकता का चित्रण किया जा रहा है।		एसडीजी 7 एसडीजी 9 एसडीजी 13	
6	21–4202012020103 माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	*7357.57*			*17000.00*	*498.00*			एसडीजी 7 एसडीजी 9 एसडीजी 13	

वित्तीय वर्ष 2022–23										(राशि लाख रु0 में)
क्रं.	विपत्र कोड एवं चिह्नित कार्यक्रम/योजना	2020–21 बजट वास्तविकी	2020–21 हरित बजट वास्तविकी	2021–22 हरित बजट पुन0 अनुमान	2022–23 बजट अनुमान	2022–23 हरित बजट अनुमान	कार्यक्रम/योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	एस डी जी मानचित्रण	गतिविधि मानचित्रण
शिक्षा विभाग										
7	21–2202010010002 प्रोत्साहन हेतु सामाजिक उत्सव				*20.00*	*0.40*	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के वृक्षारोपन के प्रति जागरूक एवं संवेदनशीन बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रावधान है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 4 एसडीजी 15	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एव जागरूकता कौशल विकास
8	21–2202011090004 प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव				*5.00*	*0.10*				
	योगफल	**7826.82**	**4.56**	**113.45**	**38635.00**	**570.70**				
सूचना एवं जन–संपर्क विभाग										
1	24–2220601060101 क्षेत्रीय प्रचार योजना	*7885.47*	*1061.00*	*411.00*			इस योजना के अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली मिशन और पर्यावरण से संबंधित अन्य योजनाओं का विभिन्न माध्यमों –यथा आउटडोर प्रचार, वृत्तचित्र/फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधी कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत–नाटक, मास मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किया जाना है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 13 एसडीजी 15	शिक्षा एव जागरूकता
	योगफल	**7885.47**	**1061.00**	**411.00**						
भवन निर्माण विभाग										
1	03–2059800530001 अनुरक्षण एवं मरम्मत	*12952.86*	*906.70*	*0.98*	*32500.00*	*0.98*	सरकारी भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय किया जाना है।	पर्यावरण प्रबंधन	एसडीजी 9	कार्यक्रम कार्यान्वयन
	योगफल	**12952.86**	**906.70**	**0.98**	**32500.00**	**0.98**				
	0 से 5 प्रतिशत श्रेणी का कुलहरित बजट योगदान	**1269481.52**	**35729.26**	**51192.79**	**1307826.02**	**48788.31**				
कुल हरित बजट महायोग		**2018137.59**	**330752.73**	**782812.17**	**2838041.72**	**771024.74**				

बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग